तृतीय माला, खण्ड १८—अंक ६०

सोमवार, ६ मई, १९६३
१६ वैशाख, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १८ में अंक ५१ से अंक ६१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित* प्रश्न संख्या ११७७ से ११८४	५९८५–६००२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४	६००२–०५
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
अतारांकित प्रश्न संख्या २७१३ से २७१९	६००५–०७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	६००८–१०
(१) पंजाब में चीनी की कथित कमी	
(२) इस्पात और भारी उद्योग मंत्री की हाल की आस्ट्रिया और पश्चिम जर्मनी की यात्रा के परिणाम	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	६०१०–११
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	६०११
कार्यवाही-सारांश	
याचिका समिति	६०११
कार्यवाही सारांश	
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	६०११
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	६०१२
पांचवां प्रतिवेदन	
लोक लेखा समिति	६०१२
बारहवां प्रतिवेदन	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३७ के उत्तर में शुद्धि	६०१२
महान्यायवादी तथा ए० वी० विश्वनाथ शास्त्री के प्रतिवेदन के प्रथम भाग के बारे में वक्तव्य	६०१२–१३
श्री कानूनगो	६०१२–१३
सभा के कार्य के बारे में	६०१३–१५
संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३--पुरस्थापित	६०१५

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा

सोमवार, ६ मई, १९६३
१६ वैशाख, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वी क्षेत्र में नौसेना का अड्डा

†*११७७. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वी क्षेत्र में नौसेना का अड्डा स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई आरम्भिक सर्वेक्षण किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)**: (क) से (ग). सरकार ने कुछ समय पूर्व विशाखापटनम में नौसेना के एक बड़े अड्डे और नावांगणा की स्थापना को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया था । परियोजना को एक उपयुक्त प्रावस्था-भाजित कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : चूंकि बंगाल की खाड़ी की देखभाल करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है इसलिये क्या यह उचित नहीं है कि यह नौसेना अड्डा अंदमान या कलकत्ता में स्थापित किया जाये ।

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : यह एक सुझाव है, श्रीमान् ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या इस नौसेना अड्डे की स्थापना के लिए कुछ समय पूर्व अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह का सर्वेक्षण किया गया था ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

607(Ai) LSD—1

†**श्री हरि विष्णु कामत** : माननीय प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा गत सोमवार को दिए गए इस वक्तव्य को देखते हुए कि चीनी नौसेना बंगाल की खाड़ी और हिन्द महासागर में वार कर सकती है और कुछ चीनी नेताओं के इस कथित वक्तव्य को देखते हुए कि एशिया पर आधिपत्य करने की युक्ति हिन्द महासागर का नियंत्रण है, क्या इस नौसेना अड्डे को इतना मजबूत बनाया जायेगा कि वह इस चुनौती का सामना कर सके और यदि हां, तो क्या सरकार सेना और विमान बल की तरह नौसेना के संबंध में भी ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पश्चिमी प्रजातांत्रिक मित्र देशों से सहायता और विशेषज्ञ प्राप्त करने का विचार कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह सब बातें यहां बताना हमारे हित में होगा ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दिया जा सकता है कि क्या सरकार विमान बल और सेना की तरह नौसेना के संबंध में भी पश्चिम के प्रजातांत्रिक देशों से सहायता और विशेषज्ञ प्राप्त करने के लिये तैयार है ।

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण**: जहां तक पश्चिमी देशों से सहायता लेने का संबंध है, मैं समझता हूं कि सरकार का दृष्टिकोण सर्वथा स्पष्ट है । वह सभा में अनेक बार बताया जा चुका है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : विशाखापटनम में यह नौसेना अड्डा स्थापित करने में कितना समय लगेगा और उसके साथ पनडुब्बी अड्डा स्थापित करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : ये सब बातें इस समस्या से संबंधित नहीं हैं । जैसा कि मैं कह चुका हूं, सरकार का इरादा पिछली बार बताया जा चुका है । जहां तक परियोजना का संबंध है, उसमें काफी समय लगेगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि विश्व-बैंक के विशेषज्ञों ने यह राय व्यक्त की थी कि हल्दिया पत्तन और परादीप पत्तन के बीच एक नौसेना अड्डा स्थापित किया जा सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक भिन्न बात है जिसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है ।

†**श्री रा० गि० बुबे** : क्या ब्रिटेन के सेनाध्यक्ष लार्ड माउण्टबेटन के साथ इस विषय की चर्चा की गई थी और क्या इस विषय में एक समन्वित दृष्टिकोण रखा गया है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : इस परियोजना के प्रश्न पर कभी भी चर्चा नहीं हुई है ।

विदेशों में भारतीय राजनयिक प्रतिनिधियों को प्राप्त राजनयिक उन्मुक्ति

†*११७८. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय दूतावासों में अलग अलग कितने अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें व्यवहार तथा दण्ड अभियोग से राजनयिक उन्मुक्ति प्राप्त है ;

(ख) क्या ऐसे एक अथवा अधिक अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के राजनयिक उन्मुक्ति के दावे को कभी चुनौती दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो कब, कहां तथा किन परिस्थितियों में ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) अखिल भारतीय आधार के राजनयिक अधिकारियों और उनके परिवारों के सदस्यों को व्यवहार एवं दण्ड अभियोग से उन्मुक्ति प्राप्त है। अराजनयिक कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को दण्ड अभियोग से उन्मुक्ति प्राप्त है परन्तु व्यवहार अभियोगों में यह उन्मुक्ति उनके शासकीय कर्त्तव्यों के दौरान किये गये कार्यों तक सीमित है ।

(ख) और (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और कालान्तर में सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जहां तक राजनयिक कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों का संबंध है, राजनयिक उन्मुक्ति किस स्तर पर समाप्त हो जाती है और क्या राजनयिक तथा उसके परिवार के अतिरिक्त उसके रसोइयों और अन्य घरेलू नौकरों को भी विदेशों में राजनयिक-उन्मुक्ति दी जाती है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जहां तक राजनयिक अधिकारियों के घरेलू नौकरों का संबंध है, उनको व्यवहार तथा दण्ड अभियोग से उसी सीमा तक उन्मुक्ति प्राप्त होती है जितनी कि संबंधित राज्य द्वारा मंजूर की जाये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह ज्ञात है कि गत वर्ष या उससे पहले वर्ष ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्च आयोग के एक अधिकारी के विरुद्ध अपने नौकर के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के कारण अदालती कार्रवाई की गई थी अथवा करने का प्रयत्न किया गया था और इस मामले में राजनियक उन्मुक्ति लागू की गई थी और कुछ वर्ष पूर्व भी लन्दन स्थित एक भारतीय डाक्टर ने भारतीय उच्च आयोग के एक अधिकारी पर मुकदमा चलाने का प्रयत्न किया था और उस मामले में भी राजनयिक उन्मुक्ति लागू की गई थी और कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सका ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमें केवल एक ही मामले की जानकारी है जिसमें राजनयिक उन्मुक्ति को चुनौती दी गई थी और वह लन्दन में हुआ था। एक भारतीय कर्मचारी ने रेलवे पास का दुरुपयोग किया था और स्थानीय शासन द्वारा उन्मुक्ति के आधार पर मुकदमा वापस ले लिया था। इसीलिए मैं ने प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में यह कहा था कि हमें अभी तक पूरी सूचना नहीं मिली है। इस लिए मैं इस प्रश्न के संबंध में निश्चयपुर्वक 'हां' या 'ना' नहीं कह सकती हूं। इस एक घटना के अतिरिक्त हमारे पास और कोई सूचना नहीं है। सूचना प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह प्राप्त की जा रही है ?

†**श्री कपूर सिंह** : क्या स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से हमारे विदेश स्थित राजनयिक कर्मचारियों द्वारा राजनयिक उन्मुक्ति का दुरुपयोग किये जाने की कोई अथवा कई घटनायें हुई हैं ? मैं सामान्य उत्तर ही चाहता हूं ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : उत्तर है 'नहीं' ।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने कि इस तरीके से इस अधिकार को मिसयूज़ किया है उनको निकालने के लिये सोच रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं पिछले प्रश्न के उत्तर में 'नहीं' कह चुकी हूं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : ये राजनयिक उन्मुक्तियां सामान्यतः दी जाती हैं अथवा उस देश के अनुरूप जिनमें राजनयिक नियुक्त हो अथवा उसकी श्रेणी के अनुसार दी जाती हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इसका विनियमन वियाना अभिसमय से सम्बन्धित अनुच्छेदों के अनुसार किया जाता है जिनमें यह विनिहित है कि किस प्रकार के अधिकारियों को राजनयिक उन्मुक्तियां प्राप्त हैं और किनको नहीं प्राप्त हैं ।

नेफा में आसाम राइफल्स

†*११३९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेफा के कामेंग डिवीजन तथा अन्य क्षेत्रों में जहां से चीनी चले गये हैं विधि तथा व्यवस्था बनाने के लिए आसाम राइफल्स के कुछ दस्ते भेजने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां तो इस निर्णय के अनुसार अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). जब चीनी नेफा से चले गये तो आसाम राइफल्स के सैनिक अपनी सामान्य चौकियों पर लौटने लगे । इन में से कुछ कामेंग सीमान्त डिवीजन में थे । आसाम राइफल्स परम्परागत असैनिक सशस्त्र बल के रूप में हमेशा से विधि तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार रही है । इसलिए उसकी वापसी पर किसी नये नीति सम्बन्धी निर्णय की जरूरत नहीं है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि चीनियों ने अपने द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को खाली तो कर दिया है परन्तु वे नेफा में बहुत से एजेंट और साधारण वस्त्रधारी सैनिक छोड़ गये हैं जो दरांग जोंग और कुछ अन्य क्षेत्रों में अशान्ति फैला रहे हैं ? यदि हां तो उनकी अनुमानित संख्या कितनी है और सरकार ने उनकी कार्रवाइयों का प्रतिरोध करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमारे पास उन चीनियों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है जिन्होंने अशान्ति फैलाई है । परन्तु इस प्रश्न में विशेष रूप से आसाम राइफल्स की उस क्षेत्र में गतिविधि का निर्देश किया गया है और जैसा कि मैं बता चुकी हूं इसका प्रयोजन असैनिक कर्मचारियों की रक्षा करना है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या आसाम राइफल्स के सैनिकों को पर्याप्त स्वचालित हथियार दिये गये हैं ताकि वे चीनी एजेंटों का सामना कर सकें जिनके पास वैसे हथियार हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : उनके पास आवश्यकतानुसार सामान्य हथियार हैं ।

†**श्री बसुमतारी** : चूंकि सरकार ने यह स्वीकार किया है कि आसाम राइफल्स ने प्रशंसनीय कार्य किया है क्या आसाम राइफल्स के सैनिकों और अन्य सैनिक कर्मचारियों के वेतन के अन्तर को खत्म कर दिया जाएगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : वह असमानतायें नाम मात्र की हैं । उदाहरण के लिये राइफलमैन का वेतन आपने सेना के सहयोगी से केवल ३.५० रुपये कम है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने कहा कि चीनियों के चले जाने के बाद कुछ हिदायतें जारी की गई थीं। मैं जानना चाहता हूं कि चीनी कहां कहां से चले गये हैं और क्या उन क्षेत्रों पर आसाम राइफल्स ने कब्जा जमा लिया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैंने यह नहीं कहा कि कोई हिदायतें जारी की गई थीं। मैंने केवल यह कहा था कि वे वहां पहुंच गये हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : किन किन स्थानों पर कब्जा किया गया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : कामेंग सीमान्त डिवीजन में किन्जमाने तक। युद्ध बन्दियों की वापिसी के लिए दर्रे को साफ करने के लिए वे बूमला तक पहुंच गये हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : चूंकि कोलम्बो प्रस्तावों में यह कहा गया है कि हम अपने सैनिकों को मैक-मोहन रेखा तक भेज सकते हैं मैं जानना चाहता हूं कि इसकी क्रियान्विति के सम्बन्ध में क्या कठिनाई है—भले ही वह एक-पक्षीय हो—और आसाम राइफल्स की सहायता के लिए नेफा स्थित सेनाओं को क्यों नहीं भेजा जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का पहला भाग सर्वथा असंगत है। कोलम्बो प्रस्तावों का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक मैं जानता हूं उस क्षेत्र में अभी तक आसाम राइफल्स और आसाम पुलिस के अतिरिक्त और कोई सेनायें नहीं भेजी गई हैं। यह निर्णय प्रतिरक्षा सम्बन्धी लोग ही करेंगे कि उनकी कहां और कब जरूरत होगी।

†**श्री स्वैल** : क्या यह सच है कि आसाम राइफल्स के सैनिक स्थायी सेना के सैनिकों जैसा ही काम करते हैं और उन्हें नेफा की कठिनाइयां झेलने के लिए भेजा गया है फिर भी उन्हें स्थायी सेना के सैनिकों जैसी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं? यदि ऐसा है तो सरकार को ऐसी सुविधायें देने में क्या कठिनाई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पहले ये अन्तर बहुत अधिक थे। अब उन्हें काफी कम कर दिया गया है। आसाम राइफल्स ने बहुत अच्छा काम किया है और हम उनके साथ किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं करना चाहते हैं। परन्तु कुछ कारण स्पष्ट हैं। एक कारण यह है कि सेना को भारत में या भारत के बाहर कहीं भी भेजा जा सकता है। आसाम राइफल्स को उस क्षेत्र में रखा गया है जो उनके घर के पास है। इसके अतिरिक्त सेना की ट्रेनिंग आसाम राइफल्स से अधिक कड़ी और लम्बी होती है।

†**श्री स्वैल** : मैं अपने प्रश्न का पूरा उत्तर चाहता हूं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरी सहयोगी अभी बता चुकी हैं कि वेतन आदि में नाम मात्र का अन्तर है।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जहां तक राशन का सम्बन्ध है जब वे मोर्चे पर भेजे जाते हैं तो उनको सेना के समान ही राशन दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : क्या भारत सेना की गतिविधि के सम्बन्ध में चीन द्वारा घोषित शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह सामान्य प्रश्न पूछ रहे हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम कोई भी आवश्यक कदम उठा सकते हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या आसाम राइफल्स की सैनिक संख्या इतनी पर्याप्त है कि उस क्षेत्र की शान्ति के समय की अर्धसैनिक प्रतिरक्षा आवश्यकताओं को ही पूरा न करे वरन आपातकाल में भी वैसा कर सके ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसका जवाब देना मुश्किल है । यह

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है मेरा भी यही खयाल था कि इसका जवाब न दिया जाये ।

आकाशवाणी में नियुक्त विदेशी

†*११८०. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २२ अप्रैल १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ९७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में प्रत्येक भाषा यूनिट में १-४-५९, १-४-६१ तथा १-४-६३ को अलग अलग कितने विदेशी नियुक्त थे ;

(ख) क्या जिन यूनिटों में अभी तक विदेशी नियुक्त हैं वहां पूर्णतः भारतीयों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० १३१२/६३]**

(ख) और (ग). आकाशवाणी के विभिन्न भाषाओं के यूनिटों में पूर्णतः भारतीय कर्मचारी रखने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह बड़े सन्तोष की बात है कि पिछले दो महीनों में पूर्ण भारतीय-करण केवल दो यूनिटों—अंग्रेजी और पुर्तगाली— में हुआ है । अन्य यूनिटों में अभी भी विदेशी नियुक्त हैं । क्या यह सच है कि चीनी भाषा के यूनिट में नियुक्त कुछ कर्मचारियों को हाल में भारत के विरुद्ध जासूसी करने के कारण गिरफ्तार किया गया है ? क्या यह सही है कि एनाउन्सर अथवा प्रसारणकर्ता अपनी सुविधानुसार मूल अनुमोदित पाठ से विमुख हो जाता था ? विदेशी भाषाओं के उन एककों में जो चीन के मित्र हैं, इस प्रकार की कार्रवाई की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री शाम नाथ** : चीनी यूनिट के कुछ एनाउन्सरों के सम्बन्ध में इस प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हुई थी और उनमें एक को गिरफ्तार किया गया था और जांच भी हुई थी । जहां तक समस्त विदेशी भाषाओं के सम्बन्ध में सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है जिन लोगों को उन एककों में नियुक्त किया जाता है उनके गत जीवन के सम्बन्ध में भली प्रकार छानबीन की जाती है और मैं समझता हूं कि किसी भी अन्य यूनिट के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं आई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मंत्री जी ने कहा कि विदेशी भाषाओं के यूनिटों में समस्त भारतीय कर्मचारी रखने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। परन्तु वास्तव में सभा-पटल पर रखे गए विवरण से यह ज्ञात होता है कि कुछ यूनिटों में विदेशी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका क्या कारण है ?

†**श्री शाम नाथ** : हम यथासंभव भारतीयों के रखने का प्रयत्न करते हैं परन्तु प्रसारण के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति ही रखे जायें जो विदेशी भाषा का सही उच्चारण कर सकें। इसलिये कभी कभी उपयुक्त भारतीय नहीं मिल पाते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह भारतीय कर्मचारियों पर बहुत बड़ा आक्षेप है। प्रधान मंत्री जानते हैं कि हम भली प्रकार विदेशी भाषायें बोल सकते हैं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हम अंग्रेजी तो भली प्रकार बोल सकते हैं परन्तु अन्य भाषाओं के सम्बन्ध में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए फ्रेंच का उच्चारण भारतीय ही नहीं वरन अंग्रेज भी भली प्रकार नहीं कर सकते हैं। यदि एनाउन्सर सही उच्चारण नहीं कर सकता तो उस भाषा के सुनने वाले हंसी उड़ाते हैं।

†**श्री त्यागी** : चीनी आक्रमण के बाद चीनी कर्मचारियों को इन यूनिटों में कितने समय तक बना रहने दिया गया था ? क्या ये योग्य चीनी चाउ-एन-लाई की सरकार की सिफारिश पर लिए गए थे ?

†**श्री शाम नाथ** : पता नहीं कि वे उसकी सिफारिश पर लिए गए थे परन्तु यह सही है कि उनमें से कुछ काफी समय तक अपने पद पर बने रहे और एक व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत आने पर जांच भी हुई थी।

†**श्री त्यागी** : वे कितने समय तक पद पर बने रहे ?

†**श्री शाम नाथ** : लगभग दो महीने तक।

डा० गोविन्द दास : प्रधान मंत्री जी ने जो यह कहा है कि विदेशी भाषा का ठीक तरह से उच्चारण करने में बहुत दिक्कत होती है, यह बिल्कुल सही है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इन सब स्थानों पर भारतीय नियुक्त हो सकें, इसके लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ? क्या कुछ एक भारतीयों को कोई विदेशी भाषायें सिखाई जा रही हैं या और किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

श्री शाम नाथ : मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन की जो फोरन लैंगुएजिज़ स्कालरशिप स्कीम है, उसके सिलसिले में ए० आई० आर० परसनेल को फारेन लैंगुएजिज़ की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। उसके साथ साथ जो हमारी इंडियन मिशंज़ हैं दूसरी कंट्रीज़ में, उनके ज़रिये भी जो क्वालिफाइड लोग हैं, उनको हासिल करने की कोशिश की जाती है।

†**श्री मनेन** : क्या यह सही है कि आकाशवाणी के कुर्सियांग केन्द्र में अधिकतर कर्मचारी नेपाली भाषा जानने वाले हैं जो भारतीय हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ? यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने दिल्ली केन्द्र के नेपाली कार्यक्रम के लिए भी नेपाली जानने वाले भारतीयों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में विचार किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाम नाथ** : नेपाली यूनिट में दो भारतीय और चार विदेशी हैं । इस प्रकार उस में कुल छै व्यक्ति हैं । हम माननीय सदस्य क. सुझाव नोट कर लेंगे और तदनुसार कार्वाई करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री यशपाल सिंह : २९ अप्रैल की शाम के पौने आठ बजे एक ऐसी टाक ब्राडकास्ट की गई थी जिसकी लैंगुएज गलत थी और प्रोनन्सिएशन फाल्टी था, क्या यह सही है ?

†**श्री शाम नाथ** : मैं इस के लिए पूर्व सूचना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : न तो आप ने जुबान बताई है कि किस जुबान में वह टाक थी और न ही आपने बताया

श्री यशपाल सिंह : पौने आठ बजे बताया है और तारीख भी बताई है कि २९ अप्रैल थी ।

†**श्री हेम बरुआ** : चूंकि प्रधान मंत्री ने कहा कि उच्चारण सही न होने से विदेशों में हमारी हंसी होगी, मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में फ्रेंच और स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाओं के प्रसारण स्थानीय लोगों द्वारा ही किये जाते हैं । क्या उच्चारण की अपेक्षा देश की सुरक्षा का अधिक महत्व नहीं है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : महत्व इस बात का है कि श्रोता उसे सुनें, समझें और पसंद करें । यदि वह कार्य भली प्रकार नहीं सम्पन्न हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया भी अच्छी नहीं होगी ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या ऐसी नियुक्ति के लिये उन व्यक्तियों को भी विदेशी माना जाता है जो विदेश में उत्पन्न होने पर भी विवाह द्वारा अथवा अन्य प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं ?

†**श्री शामनाथ** : इस के सम्बन्ध में मैं अटकल से कुछ नहीं कह सकता हूं ।

†**श्री हिम्मतसिंहका** : फ्रेंच तथा अन्य विदेशी भाषाओं के प्रसारणों को कितने व्यक्ति सुनते हैं ?

†**श्री शामनाथ** : फ्रेंच के प्रसारण पश्चिम एशियाई देशों के लिये होते हैं । यह नहीं बताया जा सकता कि वास्तव में उन्हें कितने व्यक्ति सुनते हैं ।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : भाषा यूनिटों के अतिरिक्त आकाशवाणी के अन्य यूनिटों में कितने विदेशी काम करते हैं ?

†**श्री शामनाथ** : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा । विदेश सेवाओं के सम्बन्ध में मैं आंकड़े दे ही चुका हूं ।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या यह सही है कि आपात की उद्घोषणा के पश्चात् आकाशवाणी ने विदेशी प्रसारणों में चीन के आक्रमण का उल्लेख नहीं किया था और यदि हां, तो कितने दिनों तक ?

†**श्री शाम नाथ** : मैं पूर्व-सूचना चाहूंगा परन्तु मैं समझता हूं कि ऐसा हुआ नहीं होगा कि हमारे प्रसारणों में आक्रमण शब्द का उल्लेख न किया गया हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : जिन थोड़े से विदेशियों का हटाया जाना कठिन हो, जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा, उनके अतिरिक्त क्या शेष के सम्बन्ध में कोई समयावधि रखी गई है जब तक सब कर्मचारी भारतीय रख लिये जायेंगे ?

†**श्री शामनाथ** : जहां तक प्रसारण का सम्बन्ध है, इन यूनिटों के कर्मचारी दो काम करते हैं--अनुवाद और प्रसारण । अनुवाद के सम्बन्ध में अधिक कठिनाई नहीं है । उसके लिये उपयुक्त भारतीय मिल जाते हैं । परन्तु प्रसारण के लिये ऐसे व्यक्ति रखने होते हैं जो संबंधित देशों के श्रोताओं को प्रभावित कर सकें । अतः इस सम्बन्ध में मैं अधिक कुछ नहीं कह सकूंगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इंडोनेशियाई एवं स्वाहिली यूनिटों में संख्या कम हुई है । उनमें क्रमशः दो और एक व्यक्ति हैं जब कि किसी समय तीन थे । क्या कर्मचारियों की कमी के कारण इन देशों के लिए प्रसारण का समय कम कर दिया गया है अथवा कुछ भारतीय मिल गये हैं जो स्वाहिली और इंडोनेशियाई भाषायें जानते हैं ?

†**श्री शामनाथ** : इन भाषाओं में प्रसारण का समय कम नहीं किया गया है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : चूंकि हमारे कुछ विश्वविद्यालयों में कुछ समय से विदेशी भाषायें पढ़ाई जाने लगी हैं, क्या वे इन भाषाओं के जानकार पैदा कर सके हैं और यदि हां, तो सरकार उनको इस सेक्शन में कब तक नियुक्त करेगी ?

†**श्री शामनाथ** : जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हम भारतीयों को प्राथमिकता देने का प्रयत्न कर रहे हैं । परन्तु जब हमें उपयुक्त भारतीय नहीं मिलते हैं तो विदेशियों को ही नियुक्त करना पड़ता है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : हमारे रेडियो केन्द्रों से चीन की किन किन लिपियों में प्रसारण किये जाते हैं, कैंटोनीज़ में अथवा फुकीनीज़ में और क्या हांगकांग से ऐसे भारतीयों की भरती करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं जो इन दोनों भाषाओं को भली प्रकार बोल लेते हों ?

†**श्री शामनाथ** : हम कैंटोनीज़ और कुमोयू दोनों में ही प्रसारण करते हैं ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : अन्तिम भाग का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

भारत-पाकिस्तान सीमा सम्मेलन

†***११८१. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शनिवार, ६ अप्रैल, १९६३ को लाटिटिला में जो भारत-पाकिस्तान सीमा सम्मेलन होने वाला था उस में भाग लेने के लिये पाकिस्तानी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए;

(ख) उस बैठक में किन मामलों पर चर्चा होनी थी; और

(ग) क्या सरकार को पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के बैठक में उपस्थित न होने के कोई कारण बताये गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, नहीं। ६ अप्रैल, १९६३ को लाटिटिला में किसी बैठक की व्यवस्था नहीं की गई थी।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या उस सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल के भाग न लेने के प्रति अपना रोष व्यक्त करते हुए भारतीय प्राधिकारियों ने पाकिस्तान को कोई पत्र भेजा है और यदि हां, तो क्या पाकिस्तानी प्राधिकारियों से कोई उत्तर प्राप्त हो गया है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : मैंने यह बताया था कि किसी बैठक की व्यवस्था नहीं की गई थी।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : पाकिस्तान, आसाम तथा त्रिपुरा के बीच सीमा निर्धारण का कार्य कहां तक पूरा हो गया है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : मैं ऐसे ही तत्काल आंकड़े नहीं बता सकता।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि बेरुबारी के सम्बन्ध में एक संयुक्त दल द्वारा जो सर्वेक्षण किया जा रहा था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है क्योंकि पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा भारत सरकार को दस्तावेज नहीं दिये गये हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : मैं यह निवेदन करता हूं कि यह बात इस प्रश्न से नहीं उठती।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यह महत्वपूर्ण है।

†**श्री दिनेश सिंह** : इसमें लटिटिला में होने वाली एक विशेष बैठक का उल्लेख किया गया है।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकारी अधिकारियों के स्तर पर भारत-पाक वार्तायें पाकिस्तान के दुराग्रह के कारण केवल उपहास मात्र ही रह जाती हैं, क्या इस समस्या को मिलाकर सभी समस्याओं को तय करने के लिये उच्चतम स्तर पर, प्रधान मंत्रीय स्तर पर, बातचीत करने का सरकार का विचार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : भारत तथा पाकिस्तान के बीच सभी समस्याओं पर किसी भी स्तर पर बातचीत करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु उसके लिये परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहियें। स्वाभाविक ही, यह एकपक्षीय नहीं हो सकतीं।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से पूर्व पाकिस्तान के राष्ट्र-जन भारत में, अर्थात् आसाम तथा पश्चिम बंगाल के अन्य भागों में आ रहे हैं क्या सरकार का इस प्रश्न पर कोई सम्मेलन करने का विचार है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्या मैं इस बात की ओर संकेत कर सकता हूं कि पहले जो बहुत से पाकिस्तानी राष्ट्र जन भारत आये थे उनके अतिरिक्त अभी अथवा हाल ही में कोई लोग भारत नहीं आये हैं ? पर्याप्त कदम उठाये गये हैं। अधिकांशतः, छः अथवा सात वर्ष पहले भारत में उनका तथाकथित आगमन हुआ था।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : अब भी लोग आ रहे हैं, उदाहरणार्थ त्रिपुरा में।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं इस बारे में नहीं जानता। मेरी जानकारी बस यही है। किसी एक आध व्यक्ति के आने के संबंध में मैं नहीं कह सकता।

†**श्री प्रिय गुप्त** : राज्य सरकार ने इसका विरोध किया था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: जो कुछ मैं कह रहा हूं वह यह है कि मुझे राज्य सरकार से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि मोटे तौर पर कहते हुए, उन्होंने इस आगमन को रोकने के लिये पर्याप्त कदम उठाये हैं। इतनी लम्बी सीमा पर, किसी एक आध व्यक्ति के आने के संबंध में कोई भी गारण्टी नहीं दे सकता।

†**श्री प्रिय गुप्त** : बात यही ठहरती है कि पाकिस्तान से लोगों का बहिर्गमन हो रहा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। एक अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये अथवा ऐसी अन्य कोई बात पूछने के लिये मेरी अनुमति लेने के स्थान पर माननीय सदस्य झट से उठ कर खड़े हो जाते हैं तथा अपना प्रश्न पूछते हैं। यह बात उचित नहीं है। उन्हें अपने स्थान पर खड़ा होना चाहिये और मैं उन्हें भी अवसर दूंगा जैसा कि मैं अन्य माननीय सदस्यों को दे रहा हूं।

†**श्री प्रिय गुप्त** : जब बारी आती है तो बात समाप्त हो जाती है। यह कठिनाई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अभी तक खड़े नहीं हुए हैं। मैं उन्हें देखता रहा हूं।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल सकता है?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय नहीं।

†**श्री प्रिय गुप्त** : प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि उनके पास जानकारी नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति।

†**श्री प्रिय गुप्त** : श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। प्रधान मंत्री महोदय यह कहते हैं कि उनके पास जानकारी नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। मैं उन्हें तभी अवसर दूंगा यदि वह नियमित ढंग में प्रश्न पूछें, अन्यथा नहीं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं यह बात दुहराता हूं कि यदि पूरी तरह से विचार किया जाये तो बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भारत नहीं आ रहे हैं और मेरी यह जानकारी हमारे अपने ही स्रोतों पर आधारित नहीं है परन्तु आसाम सरकार द्वारा दिये गये समाचारों पर भी आधारित है। मैं यह गारण्टी नहीं दे सकता कि कोई एक आध व्यक्ति भी नहीं आ रहा है। १९९४ से पहले बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भारत आये थे, उसके बाद थोड़े थोड़े आते रहे। विभाजन के समय से लेकर १९५३–५४ तक वहां लगभग कोई चौकियां नहीं थीं। वही हालत थी जो कि विभाजन से पहले थी और बहुत सी संख्या में लोग आये और एक मुसीबत खड़ी हो गई। १९५४ के पश्चात् उन्हें रोका गया, परन्तु कुछ फिर भी आते र । हाल ही में, यानी कि, कुछ ही महीने पहले चौकियों को अधिक ताकतवर बना दिया गया है और सिवाये इसके कि जो एक आध व्यक्ति चुपचाप घुस आते हैं अब लोगों के लिये यहां आना कठिन है। मुझे श्री प्र० रं० चक्रवर्ती के प्रश्न का दूसरा भाग याद नहीं रहा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : कल परसों ह' अर्थात् गत सप्ताह में लगभग ३७ परिवार भारत आये हैं और यह बात वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री द्वारा स्वीकार की गई थी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं प्रश्न का दूसरा भाग भूल रहा हूं। मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : इन लोगों के आगमन को ध्यान में रखते हुए क्या किसी सम्मेलन को करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वास्तव में यह सुझाव दिया गया कि भारत-पाक वार्ता के पिछले दौर में इस मामले पर चर्चा की जानी चाहिये जिसके लिये कि हमारे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री स्वर्ण सिंह ने किया था। परन्तु स्पष्ट ही तब यह विषय नहीं उठाया गया था। हम इस पर पाकिस्तान के साथ चर्चा करने के लिये पूरी तरह से इच्छुक हैं।

†**श्री बसुमतारी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाल में आसाम राज्य में पाकिस्तान से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, क्या मैं यह समझ लूं कि इस बात के कारण कि भारत सरकार तथा पाकिस्तान के बीच वार्ता चल रही है पाकिस्तान के लोगों को सीमा पार करके भारत में आने के लिये प्रोत्साहन मिल रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं प्रश्न को नहीं समझ सका।

†**श्री बसुमतारी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाल में आसाम राज्य में पाकिस्तान से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, क्या मैं यह समझ लूं कि क्योंकि भारत सरकार तथा पाकिस्तान के बीच वार्ता चल रही है, अतः इससे पाकिस्तान के लोगों को सीमा पार करके भारत में आने के लिये प्रोत्साहन मिल रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इस प्रश्न को नहीं समझता हूं। मैं कहता हूं कि उनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है अपितु कई महीनों से उन लोगों का आना घट रहा है। एक आध व्यक्ति घुस आ सकता है परन्तु नियमित आगमन रुक गया है।

मैं यह नहीं जानता कि श्री प्र० रं० चक्रवर्ती किस बात का उल्लेख कर रहे थे। जो कुछ बात हुई है वह यह है कि पाकिस्तान के कुछ हिन्दू राष्ट्रजन जबरदस्ती भारत में भेज दिये गये हैं। वह एक अलग बात है। अनधिकृत रूप से आने वाले कुछ मुसलमान व्यक्तियों को आसाम अथवा त्रिपुरा से निकाल कर पाकिस्तान भेज दिया गया था ; स्पष्ट ही बदले की भावना से कुछ हिन्दुओं को; कुछ हिन्दू परिवारों को जबरदस्ती भारत में भेज दिया गया है।

†**श्री स्वैल** : मेरा प्रश्न पूरी भारत-पाक समस्या से संबंधित है क्योंकि मैं एक सीमावर्ती राज्य से आता हूं.

†**अध्यक्ष महोदय** : हम इस प्रश्न में पूरे संबंधों पर विचार नहीं कर सकते।

†**श्री स्वैल** : मैं वह पूछ रहा हूं। इस बात कोध्यान में रखते हुए जो कि माननीय प्रधान मंत्री ने अभी कही है—और जबकि यह भी स्वीकार किया गया है कि पाकिस्तान से आने वाले बहुत से व्यक्ति असाम में विद्यमान हैं—क्या मैं जान सकता हूं कि इन आप्रवासियों का भय तथा वहां स्थिति का सन्तुलन करने की इच्छा ही वह कारण है जिनकी वजह से प्रधान मंत्री महोदय अभी

---

†मूल अंग्रेजी में

तक पहाड़ी क्षेत्रों के लिये एक अलग राज्य बनाने को स्वीकार करने के लिये मना करते रहे हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : यह तो एक बिल्कुल ही भिन्न प्रश्न है ।

असैनिक विभागों से भूतपूर्व प्रतिरक्षा कर्मचारियों को वापस बुलाना

+
†*११८२. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सेनाओं के कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिये असैनिक विभागों में लगे हुए भूतपूर्व प्रतिरक्षा कर्मचारियों को वापस बुलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों को कब वापस बुलाया जायेगा ;

(ग) असैनिक विभागों में ऐसे कितने कर्मचारी हैं ; और

(घ) कितने कर्मचारी प्रतिरक्षा सेनाओं में शामिल होने का विकल्प दे चुके हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)**: (क) जी, नहीं । जिन भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों का कोई रक्षित उत्तरदायित्व नहीं है उनको अनिवार्य रूप से वापस बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । उन भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को जिनका रक्षित उत्तरदायित्व है जब कभी उन्हें उपयुक्त रूप से रोजगार में लगाया जा सकता है वापस बुलाया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) बहुत से भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों ने जिनका कि कोई रक्षित उत्तरदायित्व नहीं है और जो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधीन असैनिक विभागों में कार्य कर रहे हैं आपात काल में सेना में सेवा करने के हेतु वापस आने के लिये प्रार्थनापत्र दिये हैं, और उनमें से कुछ को सेना में वापस ले लिया गया है । ऐसे भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की संख्या के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : कुछ दिन पूर्व माननीय मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि प्रतिरक्षा कर्मचारियों की कमी है—मेरा मतलब कमीशन्ड अधिकारियों से है—और इमरजेंसी कमीशन के लिये भारी मात्रा में भरती की जा रही है । इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या उन भूतपूर्व अधिकारियों को जो कि प्रतिरक्षा सेवाओं में लगे हुए थे, वापस बुलाया जायेगा ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : इस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों में अधिकारीगण भी सम्मिलित हैं ।

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : जी, हां ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मन्त्री ने अभी बताया है कि कुछ भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों ने वापस आने के लिये तथा इमरजेंसी कमीशन में सम्मिलित होने के लिये प्रार्थनापत्र भेजे हैं । क्या यह भी

---

†मूल अंग्रेजी में

सच है कि जबकि एक ओर तो उन्होंने सेना में कार्य करने के लिये आवेदन पत्र दिये हैं, दूसरी ओर सरकार ने जनरल बी० एम० कौल को एक गैर-सरकारी फर्म में नियुक्ति लेने के लिये अनुमति दे दी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह एक भिन्न प्रश्न है। वह इस प्रश्न से नहीं उठता।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : वह उठता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस सम्बन्ध में एक अलग प्रश्न पूछे जाने के लिये आ रहा है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह प्रश्न इस मूल प्रश्न से नहीं उठता ?

†**अध्यक्ष महोदय** : पुनः रोज़गार दिलाने का प्रश्न इस प्रश्न से नहीं उठता।

श्री बड़े: क्या यह बात सच है कि जब चाइना का हमला हम पर हुआ था तब रिटायर्ड आफिसर्स को नोटिस दिया गया था कि वे फिर आर्मी को ज्वायन कर लें, लेकिन महीने या डेढ़ महीने बाद उन्हें लेने से इंकार कर दिया गया था।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : स्थिति यह है कि प्रत्येक अधिकारी को जिसको कि रक्षित उत्तरदायित्व है नोटिस दिया जाना है, परन्तु उनको वापस लेना निश्चय ही कुछ कार्यों में उनकी उपयुक्तता तथा हमारी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : विस्तृत उत्तर में भी यह नहीं बताया गया है कि क्या सभी भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को एक नियम के अनुसार अपना यह मत व्यक्त करने के लिये कहा गया है कि वे वापस आना चाहते हैं या नहीं, अथवा कोई कसौटी निर्धारित की गई है जिसके आधार पर उन्हें इस समय बुलाया जायेगा।

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : अधिकांश व्यक्तियों ने जो कि वापस आना चाहते थे ऐसा करने की अपनी इच्छा की सूचना भेज दी है। परन्तु उनका वास्तव में बुलाना उनकी उपयुक्तता तथा हमारी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या सेना में वापस आने की अथवा नहीं आने की बात असैनिक विभागों में कार्य कर रहे सैनिक कर्मचारियों की पसन्द पर छोड़ दी जाती है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : सामान्यतया उनसे वापस आने की आशा की जाती है।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी सामान्यतया असैनिक विभागों में कार्य कर रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे असैनिक विभाग प्रत्यक्ष रुप से नहीं तो कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रतिरक्षा कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायता नहीं कर रहे हैं ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : जी, नहीं। उस सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं है।

ट्रक और ट्रैक्टर

†***११८३. श्री हरि विष्णु कामत** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री २२ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ९७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य प्राधिकार को दिए गए 'शक्तिमान' ट्रकों तथा ट्रैक्टरों में निर्माणात्मक अथवा किसी अन्य प्रकार की खराबियां पाई गई हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो खराबियां किस प्रकार की हैं ;

(ग) क्या इस बीच उनको दूर कर दिया गया है ; और

(घ) क्या ट्रक और ट्रैक्टर बड़े पैमाने पर बनाने का कोई कार्यक्रम है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) दण्डकारण्य विकास प्राधिकार को कोई भी शक्तिमान ट्रक नहीं दिये गये हैं। ये गाड़ियां केवल प्रतिरक्षा सेनाओं को दी गई हैं तथा चलाने में पूर्णतः सन्तोषजनक सिद्ध हुई हैं। दण्डकारण्य विकास प्राधिकार को ट्रैक्टर दिये गये हैं। उनको दिये गये ट्रैक्टरों में कुछ खराबियां पाई गई थीं।

(ख) जो बड़ी खराबियां पाई गई थीं वे तेल का अधिक उपभोग तथा कुछ मामलों में शक्ति को खो देने के सम्बन्ध में थीं।

(ग) खराबियां दूर कर दी गई हैं तथा ट्रैक्टरों से फिर से कार्य लिया जा रहा है।

(घ) उत्पादन के वर्तमान स्तर में वृद्धि करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : पन्दरह दिन पहले २२ अप्रैल को ट्रेक्टरों के सम्बन्ध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मन्त्री महोदय ने कहा था कि पुनर्वास मन्त्रालय ही यह बताने की स्थिति में होगा कि स्थिति क्या थी। उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ खराबियां थीं, कुछ शिकायतें की गई थीं और कुछ हिस्से बदले गये थे। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह केवल कोमल अभिव्यक्ति थी, अथवा वास्तविकता थी और क्या दण्डकारण्य प्राधिकार को दिये गये ट्रैक्टर बिल्कुल ही कार्य के लिये अयोग्य पाये गये थे तथा दण्डकारण्य प्राधिकार द्वारा प्रतिरक्षा मन्त्रालय को तदनुसार सूचित कर दिया गया था ?

†**श्री रघुरामैया** : मैंने जो कुछ भी कहा था उसे निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्रालय के प्रति न्याय ही किया था, जो कुछ मैंने कहा था उसकी पुष्टि करने के लिये वही उत्तम स्थिति में थे और मैं अब भी इसी बात पर टिका हुआ हूं। हमारी जानकारी यह है कि कोमात्सु के स्थान पर मित्सुबिशी इंजन लगाने से ही अधिकांश खराबियां ठीक हो गई थीं। यही मैंने कहा था और अब भी मैं इस पर टिका हुआ हूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : ट्रकों के सम्बन्ध में, शक्तिमान ट्रकों का बड़ी संख्या में उत्पादन करने के लिये क्या मन्त्रालय के पास कोई योजना अथवा प्रस्ताव अथवा ब्ल्यूप्रिंट है और यदि हां, तो यह योजना अथवा प्रस्ताव किस प्रक्रम पर पहुंच गया है ?

†**श्री रघुरामैया** : जितने ट्रकों का उत्पादन हम कर सकते हैं कर रहे हैं, तथा हम जांच पड़ताल भी कर रहे हैं और किसी हद तक उत्पादन के आंकड़ों को बढ़ाने के लिये हम असैनिक क्षेत्र की भी सहायता ले रहे हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह प्रश्न ट्रकों तथा ट्रैक्टरों दोनों से सम्बन्धित है। मुझे दो प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये। मैं केवल प्रार्थना कर रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहला प्रश्न पूछा जाये।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं दोनों ही प्रश्नों को मिलाना पसन्द करुंगा। क्या यह सच है कि शक्तिमान ट्रक का मूल्य उन ट्रकों के मूल्य से बहुत कम है जिनका कि प्रीमियर ओटोमोबाइल्स तथा अन्य गैर-सरकारी संस्थापकों द्वारा सम्भरण किया गया था। मेरा दूसरा प्रश्न यह है

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें कम से कम यह तो नहीं कहना चाहिये कि यह उनका दूसरा प्रश्न है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या ट्रैक्टरों की खराबियों के सम्बन्ध में किसी अधिकारी द्वारा पूरी पूरी जांच की गई थी और यह पाया गया था कि खराबी बहुत ही तुच्छ प्रकार की थी और इसलिये हुई थी कि दण्डकारण्य में ट्रैक्टरों से गलत ढंग से कार्य लिया गया था ?

†**श्री रघुरामैया** : तुलनात्मक मूल्यों के सम्बन्ध में मैंने पिछले अवसर पर, बिना किसी विशेष प्रकार की वस्तु का उल्लेख करते हुए परन्तु मोटे तौर पर बोलते हुए, यह पहले ही बता दिया था कि हमारी लागत लगभग ४०,००० रुपया है जबकि आयात किये जाने वाले ट्रक की लगभग ५०,००० रुपये है। प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में मुझे उससे अधिक कुछ भी नहीं कहना है जो कि मैंने कह दिया है।

†**श्री बड़े**: दण्डकारण्य में जो ट्रैक्टर भेजे गये हैं, उनमें बहुतों में पावर कम होने से क्या दण्डकारण्य अथारिटी ने सिफारिश की है कि उनको वापस लिया जाना चाहिये ?

†**श्री रघुरामैया**: मैंने यह पहले ही बता दिया है कि पहले इंजन का उपयोग करने में जो दोष पाये गये थे उनम से एक शक्ति का खोना था और अब उसे दूर कर दिया गया है।

†**डा० गोविन्द दास** : क्या यह सच नहीं है कि जहां तक शक्तिमान ट्रकों का सम्बन्ध है उनके विरुद्ध कभी भी कोई शिकायत नहीं थी और यह समझा गया था कि वे सर्वोत्तम सम्भव ट्रक हैं ? इस लिये, क्या इस समाचार में कोई सचाई है कि उनम कुछ खराबियां पाई गई थीं ? **(अन्तर्बाधाएं)**

†**श्री त्यागी** : माननीय मन्त्री को हिन्दी में उत्तर देना चाहिये।

†**डा० गोविन्द दास** : भाषा के सम्बन्ध में मैं सनकी आदमी नहीं हूं यदि मन्त्री महोदय हिन्दी नहीं समझते हैं तो मुझे अंग्रेजी में पूछना चाहिये।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : जो ट्रैक्टर दण्डकारण्य प्राधिकार को दिये गये थे उनके सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के इन अवलोकनों की ओर क्या उनका ध्यान गया है कि दण्डकारण्य में जिस प्रकार की भूमि थी उस प्रकार की भूमि में ट्रैक्टरों का परीक्षण नहीं किया गया था और उनको चलाने सम्बन्धी अनेक कठिनाइयों का अनुभव हुआ था ? क्या सरकार ने इन टीका-टिप्पणियों पर ध्यान दिया है और उस सम्बन्ध में जांच पड़ताल की है ।

†**श्री रघु रामैया** : प्रारम्भ में यह सेना के प्रयोजनों के लिये थे। इसलिये उन्हीं क्षेत्रों में परीक्षण किये गये थे जो कि उस प्रयोजन के लिये उपयुक्त थे परन्तु वास्तव में हमने समिति की आलोचनाओं पर ध्यान दिया है।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या यह सच है कि अवाडी तथा अन्य आयुध कारखानों के प्रबन्ध-कर्ताओं तथा कर्मचारियों में से गैर-प्रविधिक अधिकारी जो हैं वे मूख्य रूप से ९५ प्रतिशत भारतीय सेना में से लिये गये हैं और यदि हां, तो क्या सरकार का इस अप्रचलित पद्धति में, जिसे कि संसार में अन्य सभी स्थानों पर छोड़ दिया गया है, शीघ्र ही परिवर्तन करने का विचार है ?

†**श्री रघुरामैया** : यह बात इस प्रश्न नहीं उठती, परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि हमारे आयुध कारखानों में अधिकांशत: अर्हता प्राप्त लोग हैं जैसे कि इंजीनियर लोग जिन्हें कि भरती से पहले अनेक औद्योगिक संस्थापनाओं में कार्य करने का अनुभव है।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वचालित हथियारों का निर्माण

†*११८४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेल्जियम के विशेषज्ञ दल को आयुध कारखानों में स्वचालित हथियारों का उत्पादन बढ़ाने के तरीकों पर परामर्श देने के लिए आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो दल के कब आने की संभावना है; और

(ग) उसका परामर्श किन मामलों पर लिया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

†**श्री प्र० चं० बरुआ**: हमारे आयुध कारखानों में स्वचालित हथियारों के उत्पादन की स्थापित क्षमता क्या है तथा स्वचालित हथियारों के निर्माण की वास्तविक प्रगति क्या है ?

†**श्री रघुरामैया** : क्या माननीय मंत्री चाहते हैं कि मैं उत्पादित राइफलों की संख्या बताऊं। ऐसा करना लोकहित में नहीं होगा।

†**श्री अ० प्र० जैन** : क्या मंत्री महोदय को संतोष है कि स्वचालित हथियारों को पर्याप्त संख्या में तथा अच्छी किस्म का बनाया जा रहा है ?

†**श्री रघुरामैया** : हम इसी उद्देश्य की पूर्ति करने में काफी आगे बढ़ चुके हैं।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : उत्पादित स्वचालित हथियारों का परीक्षण करने का हमारा क्या तरीका है तथा क्या उत्पादन बढ़ाने तथा दक्षता लाने के लिए विदेशी सहायता मांगी गई है?

†**श्री रघुरामैया** : हमारे पास दक्ष निरीक्षणालय है तथा यही दक्ष निरीक्षणालय स्वचालित हथियारों की परीक्षा करता है। सभी प्रकार से परीक्षा की जाती है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्योंकि चीन से हमारी सीमा में मुख्यतः पहाड़ ही हैं मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस भौगोलिक स्थिति को समझा है और चीनियों द्वारा काम में लाये गये हल्के स्वचालित हथियार बनाने का निर्णय किया है ?

†**श्री रघुरामैया** : इन सभी बातों पर विचार करना स्वाभाविक है।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या सरकार ने कुछ हथियार बनाने का काम गैर सरकारी क्षेत्र को भी सौंपा है तथा यदि हां, तो वह हथियार किस किस प्रकार के हैं ?

†**श्री रघुरामैया** इस समय हम केवल पुर्जे बना रहे हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि बेल्जियम ने १९५७–५८ में कोई योजना भेजी थी जिस को वित्त मंत्रालय ने अस्वीकार कर दिया था और इसीलिए हम ने स्वचालित हथियारों का निर्माण नहीं किया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न से मूल प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ? क्या वह ऐसी किसी योजना के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं जिस पर कभी विचार किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने विशेषज्ञों के बेल्जियन दल को आमंत्रित किया है ?

†**श्री रघुरामैया** : हम बेल्जियम के व्यक्तियों से बातचीत कर रहे है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या बेल्जियम से कोई उपकरण का आयात किया गया था ?

†**श्री रघुरामैया** : में प्रश्न सुन नहीं सका ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या हथियारों का उत्पादन आधुनिक बनाने के लिए बेल्जियम से कोई उपकरण आयात किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब वह आसाम की सीमा से बोलें तो कृपा करके जोर से बोलें ।

†**श्री रघुरामैया**: जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो विभिन्न देशों से हम इस सम्बन्ध में बातचीत करेंगे ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ऐसी लाइट मशीनगन बनाने का प्रयत्न कर रही है जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सके तथा ऊंची पहाड़ियों पर पुनः जोड़ा जा सके ?

†**श्री रघुरामैया**: श्री त्यागी जानते है कि यह पुराना विषय है । हम इसको उच्चतम प्राथमिकता दे रहे है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इन स्वचालित हथियारों के निर्माण में तकनीकी दक्षता में हम आत्मनिर्भर है अथवा अन्य देशों से सहायता ले रहे है ?

†**श्री रघुरामैया** : मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि यह स्वचालित हथियार हम स्वयं अपनी तकनीकी दक्षता से बना रहे है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

ले० जनरल बी० एम० कौल को व्यापारिक फर्म में काम करने के लिये अनुमति

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३. श्री द्वारका दास मंत्री: क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ले० जनरल बी० एम० कौल को टोकियो में एक नौवहन समवाय में नौकरी करने की अनुमति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें भारत से बाहर जाने की अनुमति क्यों दी गई है जबकि उत्तर-पूर्व सीमान्त क्षेत्र (नेफा) में हुई असफलता के बारे में उनके विरुद्ध जांच अभी चल रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**: (क) जी हां । सामान्यतः अफसरों के सेवानिवृत्ति के बाद वाणिज्यिक फर्मों आदि में नियुक्ति की अनुमति तभी दी जाती है जब उनका सेवा में रहते हुए उस फर्म से कोई सम्बन्ध नहीं रहा हो ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि किसी एक अफसर के विरुद्ध जांच नहीं हुई है । जांच सैनिक मूल्यांकन है जिसके बारे में सभा में पहले भी बताया जा चुका है । ऐसा कोई कारण नहीं है कि जांच के समय ले० जनरल कौल उपलब्ध नहीं हो सकेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री द्वारका दास मंत्री:** सरकार ने उनको पदच्युति की सूची में रखा है अथवा सेवानिवृत्त की सूची मैं रखा है ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** उनकी सेवानिवृत्ति हुई है।

†**श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या भारत से ले० जनरल कौल के विदेश जाने पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है क्योंकि जांच मैं उनकी गवाही आवश्यक मानी जायेगी ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** कोई प्रतिबन्ध आवश्यक नहीं है और वह नहीं लगाया गया है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्योंकि नेफा की असफलताओं की जांच में जनरल कौल सर्वप्रमुख होंगे, क्या में जान सकता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्री ने यह किस प्रकार कहा कि जांच किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी और इसीलिए उन्होंने उनको कम्पनी में काम करने की अनुमति दे दी है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह जानकारी दे दी गई है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार का विचार नेफा की असफलताओं से सम्बन्द्ध व्यक्तियों की कार्यवाहियों की जांच करने का है तथा यदि कुछ व्यक्ति ऐसे है तो क्या जनरल कौल भी उनमें से एक है ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। उसमें बताया गया है कि :

> "ऐसा कोई कारण नहीं है कि जांच के समय ले० जनरल कौल उपलब्ध नहीं हो सकेंगे"

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के दो वर्ष बाद ही सरकार की अनुमति से गैर सरकारी फर्म में जा सकता है तथा यदि हां, तो क्या सरकार ने उनको अनुमति दी है और किन कारणों पर अनुमति दी है ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** जी हां, अनुमति दी गई है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्यों ?

†**श्री कपूर सिंह :** क्या जांच के निर्देश पद में ऐसी कोई बात है जिससे अप्रत्यक्षत: अथवा प्रत्यक्षत: जनरल कौल व्यक्तिगत रूप से मामले में शामिल होते हों ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** प्रतिवेदन मेरे पास नहीं है और मैं नहीं बता सकता हूं कि उसमें क्या है। परन्तु मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अनुमति देने से पहले आर्मी हैडक्वार्टर का परामर्श लिया गया था । उन्होंने कोई आपत्ति नहीं उठाई थी।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** समाचारपत्रों के अनुसार, जयन्ती शिपिंग कम्पनी में नियुक्ति लेने से पहले क्या उन से सभी बातों के बारे लिखित वक्तव्य देने के लिए कहा जायेगा कि नेफा की असफलताओं के बारे में उनकी कितनी जिम्मेदारी है ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मैं समझता हूं कि उन्होंने लिखित उत्तर दिया था। वह टोकियों में कम्पनी में प्रधान के वरिष्ठ सलाहकार होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी:** में ने जांच के बारे मैं पूछा था न कि जयन्ती शिपिंग कम्पनी के बारे मैं।

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** अपने उत्तर के पहले भाग मै मेंने बता दिया है कि उन्होंने पूरा पूरा वक्तव्य दे दिया है ।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :** आपातकाल मैं सामान्यत: अधिकारियों को सेवा मैं नियुक्त माना जाता है। जनरल कौल ने आपातकाल मैं अन्य स्थान पर नियुक्ति किस प्रकार ली ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** हमें पूरा विश्वास है कि अब उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी ।

†**श्री त्यागी :** सेवानिवृत्ति के समय उनको क्या वेतन मिल रहा था तथा जयन्ति शिपिंग कम्पनी ने उनको कितना वेतन देने को कहा है ? क्या सरकार की सिफारिश पर इनको वहां पर नियुक्त किया गया था ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** कम्पनी को सरकार द्वारा सिफारिश करने का प्रश्न नहीं था । परन्तु मरी जानकारी के अनुसार उनको आयकर की छूट दिए बिना प्रत्येक वर्ष २०,००० डालर मिलेंगे ।

इस्पात के नये कारखानों की स्थापना

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का बोकारो के प्रस्तावित इस्पात कारखाने के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र मैं दो और नये बड़े इस्पात के कारखानों की स्थापना का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस स्थिति मैं है; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिये कोई परियोजना रिपोर्ट मांगी है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) से (ग). चौथी योजना अवधि की माँग पूरी करने के लिए एक अथवा दो नये इस्पात संयंत्र स्थापित करना आवश्यक है। लोहे तथा इस्पात की चौथी योजना बनाने के लिए सरकार की सहायता के लिए स्थापित स्टीयरिंग ग्रुप की सिफारिशों के अनुसार इन संयंत्रों के लिए बेलाडिला–विशाखापटनम में संभावना अध्ययन किए जा रहे हैं । इस वर्ष के अन्त से पहले इस पर अन्तिम निर्णय हो जाने की संभावना नहीं है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** अनुमानित पूंजीगत व्यय लक्ष्य प्राप्त उत्पादन क्षमता तथा संगठन प्रणाली और इन परियोजनाओं के प्रस्तावित स्थापना स्थान क्या होंगे तथा क्या सरकार ने इस मामले में कोई अस्थायी निर्णय किया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** अभी भी संभावना अध्ययन कर रहे हैं । इस के पूरा हो जाने पर य बातों पर विचार किया जायेगा ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** मैं जानना चाहता हूं कि कोई अस्थायी निर्णय किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अभी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या इस कार्य के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करने की आरम्भिक जाँच की गई है तथा यदि हाँ, तो क्या विदेशी सहयोग के बारे में कोई बातचीत हो रही है अथवा होने वाली है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : अभी वह स्थिति नहीं आई है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ए० ई० सी० सेंटर एण्ड स्कूल, पचमढ़ी, के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि

†२७१३. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० ई० सी० सेंटर एण्ड स्कल, पचमढ़ी, मध्य प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को १९५९ से वेतन वृद्धि नहीं की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) वेतन वृद्धि न देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त कर्मचारियों को इस प्रकार की वेतन वृद्धि कब तक देने का अथवा स्वीकार करने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) जी नहीं । कोई मामला लम्बित नहीं है ।

(ख) से (घ), प्रश्न ही नहीं उठते ।

ए० ई० सी० सेंटर एंड स्कूल, पचमढ़ी

†२७१४. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ए० ई० सी० सेंटर एण्ड स्कूल, पचमढ़ी के चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों को अब तक अर्द्धस्थायी प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए हैं ;

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) मामले पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा तथा आवश्यक प्रमाणपत्र कब तक दे दिए जायेंगे ।

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) ३४ असैनिक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ऐसे हैं जो अर्द्धस्थायी प्रमाणपत्रों के अधिकारी हैं तथा जिन को अब तक प्रमाणपत्र नहीं दिए गए हैं ।

(ख) और (ग)-कुछ प्रशासनिक औपचारिकतायें पूरी करनी हैं । अब ऐसा किया गया है तथा अर्द्धस्थायी प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए कार्यवाही की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्रामीण औद्योगिक परियोजनायें

†२७१५. **श्री दे० जी० नायक** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं में काम चालू हो गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)**: (क) और (ख), ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं की प्रगति दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी० १३१३/६३]**

नेफा से भरती

†२७१६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा प्रशासन में एजेन्सी के विभिन्न भागों में सेना भरती करने वाले दल भेजने का प्रबन्ध किया है जिस से सेना के लिये उसी स्थान से एकदम भरती की जा सके ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन दलों द्वारा उस क्षेत्र से कितने व्यक्तियों को भरती किया गया था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) जी हाँ ।

(ख) सभा में यह जानकारी बताना लोकहित में नहीं होगा ।

मोजम्बिक से लौटे हुए भारतीयों का पुनर्वास

†२७१७. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य सरकार के परामर्श से एक योजना पर निर्णय लिया है कि मोजम्बिक से हाल में ही निकाले गये भारतीयों को पुनर्वास के लिये सहायता दी जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना की क्रियान्विति के में क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) सरकार ने गुजरात सरकार के परामर्श से मोज़ाम्बिक से लौटे हुए उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने की योजना स्वीकार की है जो अपना पालनपोषण नहीं कर सकते हैं । इस योजना का व्यय केन्द्र तथा गुजरात सरकारों द्वारा आपस में बराबर बराबर बाँट लिया जायेगा । गुजरात सरकार ने वापस लौटे हुए व्यक्तियों को इस की रियायती दरों पर ऋण देना स्वीकार कर लिया है । वापस लौटे हुए व्यक्तियों को अग्रेतर सहायता देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है तथा संभवतया शीघ्र ही उस पर निर्णय ले लिया जायेगा ।

(ख) सहायता देने की पूरी योजना के कुछ पहलुओं पर अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है इसलिए क्रियान्विति में विलम्ब हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कलई कुन्डा हवाई चौकी

†२७१८. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर ज़िले में कलई कुन्डा हवाई चौकी के बमों के परीक्षण के लिये किसी क्षेत्र का अर्जन करने का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे क्षेत्रों का कब अर्जन किया जायेगा ; और

(ग) क्या उन लोगों को प्रतिकर दिया जायेगा जिन को वहाँ से हटाया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) जी हाँ ।

(ख) सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र के अर्जन की स्वीकृति दे दी है तथा यथासंभव शीघ्र उस पर कब्ज़ा कर लिया जायेगा ।

इस कार्य के लिये अर्जित भूमि का क्षेत्रफल नीचे दिया जाता है :—

१. गैरसरकारी भूमि	१०२९.४७ एकड़
२. वन तथा राज्य सरकार की भूमि	२६६७.७२ एकड़

(ग) जी हाँ ।

बंगाली फिल्म 'दादा ठाकुर'

†२७१९. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाली फिल्म 'दादा ठाकुर' पश्चिम बंगाल में रहने वाले जीवित व्यक्ति का पूर्ण जीवन इतिहास चित्रित करती है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस व्यक्ति का क्या नाम है ; और

(ग) दादा ठाकुर का १९६२ की सर्वोत्तम फिल्म घोषित करते हुए क्या उस व्यक्ति का परामर्श लिया गया था ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)** : (क) और (ख). 'दादा ठाकुर' जाँगीपुर, मुर्शिदाबाद में रहने वाले श्री शरत चन्द्र पंडित की जीवन कहानी है ।

(ग) जी नहीं । यह आवश्यक भी नहीं था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

पंजाब में चीनी की कथित कमी

†**श्री गुलशन** (भटिंडा) : मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें :—

"पंजाब में चीनी की कमी और उस का बहुत अधिक मूल्य पर बेचा जाना ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आज सुबह एक अन्य प्रस्ताव की सूचना मुझे प्राप्त हुई है । यदि माननीय मंत्री उस का उत्तर दे सकें तो बेहतर है क्योंकि अन्य कोई अवसर नहीं मिलेगा

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : यह सूचना किस राज्य से प्राप्त हुई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : राजस्थान से । इन दों राज्यों का विशेषकर उल्लेख कर के, इस का सामान्य प्रश्न के रूप में उत्तर दिया जा सकता है ।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं राजस्थान के बारे में अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा ।

जैसा कि मैंने १७ अप्रैल, १९६३, को इस सभा में कहा था, चीनी के वितरण मूल्यों तथा वहन का विनियमन कर संबंधी शक्तियां प्राप्त करने के लिये उसी तिथि को भारतीय प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत एक चीनी (नियंत्रण) आदेश जारी किया गया। यह कदम फरवरी-मार्च तथा अप्रैल, १९६३ में चीनी के अनुचित रूप से बढ़े हुये मूल्यों पर रोक लगाने के लिये उठाया गया था ; और यह सुनिश्चित करने के लिये भी कि उपलब्ध चीनी का उचित मूल्य पर समान वितरण हो। जैसा कि मैंने घोषित किया था, विभिन्न राज्यों में चीनी कारखानों के लिये अधिकतम कारखाने का मूल्य निर्धारित कर दिया गया है, और उल्लिखित कारखानों से राज्यों के लिये चीनी का मासिक कोटा आवंटित करने की प्रणाली लागू की गई है। कारखानों से चीनी प्राप्त करने का काम, और अधिसूचित कारखाने के मूल्यों पर इसके वितरण का काम पूर्णतः राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है ।

२. पंजाब राज्य के लिये १४,००० टन मासिक कोटा निर्धारित किया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार पंजाब सरकार ने एक योजना लागू की है जिस के अनुसार सारे राज्य में चीनी का वितरण एक ही खुदरा मूल्य पर किया जायगा। अपने निश्चित कोटे का वितरण राज्य सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में किया गया है, और शहरी क्षेत्रों ; और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जिला परिषदों अथवा सहकारी संस्थाओं ; चीनी के वितरण के लिये चीनी के व्यापारियों के सिंडीकेट नियुक्त किये गये हैं। औसत दर्जे की चीनी का खुदरा भाव १.२० रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। ऊंचे दर्जे की चीनी का मूल्य १.२३ रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार ने अपने नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के साथ आवंटित चीनी भी चीनी कारखानों से उठवाने का प्रबन्ध किया है, और ८००० टन चीनी पहले ही बड़े नगरों में पहुंच चुकी है और

---

†मूल अंग्रेजी में

इस चीनी का वितरण निर्धारित खुदरा मूल्यों पर आरम्भ हो गया है। राज्य सरकार का विचार है कि शीघ्र ही चीनी संबंधी स्थिति में सुधार हो जायेगा। राजस्थान, मद्रास और अन्य सभी राज्यों में भी स्थिति इसी प्रकार है। जहां तक इन कोटों के वितरण का संबंध है इसे पूर्णतः राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। कारखाने के निर्धारित मूल्यों पर कोटा उठाना पड़ता है। थोक और खुदरा व्यापारियों को किन किन मूल्यों पर चीनी दी जानी है इसका निर्धारण भी राज्य सरकारों द्वारा हमारे परामर्श के पश्चात किया गया है, ताकि मूल्यों में वृद्धि न हो सके।

श्री गुलशन : क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह आया है कि मोगा मंडी में वैसाखी वाले दिन १२५ रुपये, ८ आने प्रति क्विंटल के हिसाब से चीनी बिकी है, जब कि सरकार ने पंजाब में ११२ रुपये प्रति क्विंटल भाव नियत किया है और क्या चीनी के महंगे भाव अभी तक चल रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी रोकथाम के लिये सरकार ने जो कार्यवाही की है, उस का क्या ब्यौरा है ?

†**श्री स० का० पाटिल:** जैसा कि मैंने स्टेटमेंट में बताया है, १ रुपया २३ नये पैसे प्रति किलोग्राम का भाव निश्चित किया गया है। अगर १ रुपया, २५ नये पैसे प्रति किलोग्राम का भाव होगा, तो वह इतना नहीं बढ़ा है, जिस से घबराहट होनी चाहिये।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : जालंधर डिवीजन में, हलवाई संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि चीनी का मूल्य १३० रु० प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है जबकि निर्धारित मूल्य ११० रु० प्रति क्विंटल है। अतः सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** इस आदेश के तुरन्त पश्चात् जब तक चीनी वहां पहुंच न जाये कुछ गड़बड़ होना स्वाभाविक है। यदि उपभोक्ता अविलम्ब खरीदना चाहेगा तो ऐसा हो सकता है। परन्तु मुझे पंजाब से सूचना मिली है कि स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि जयपुर और जोधपुर जैसे स्थानों में चीनी के खुदरा मूल्य बहुत बढ़ गये हैं, और राजस्थान सरकार ने कहा है कि इसका कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा थोड़ा कोटा निर्धारित करना है।

†**श्री स० का० पाटिल :** हम गत चार अथवा ५ वर्षों से कोटे की समस्या पर ध्यान दे रहे हैं। जो कोटा काफी समय से दिया जाता रहा है वही अब दिया गया है, और आपात के कारण यदि किसी राज्य की आवश्यकता अधिक होती है तो उसे भी हम पूरा करते हैं। हमें राजस्थान सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री की हाल की आस्ट्रिया और पश्चिमी जर्मनी की यात्रा के परिणाम

†**श्री द्वारका दास मंत्री** (भीर) : मैं इस्पात और भारी उद्योग मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"इस्पात और भारी उद्योग मंत्री की हाल की आस्ट्रिया और पश्चिमी जर्मनी की यात्रा के परिणाम ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: पूरा ब्योरा देने वाला एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १३१४/६३**]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

व्यापारिक गाड़ियां (वितरण और बिक्री) नियंत्रण आदेश, १९६३

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८-छ के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक १ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२७४ में प्रकाशित व्यापारिक गाड़ियां (वितरण तथा बिक्री) नियंत्रण आदेश, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिय संख्या एल० टी० १३००/६३**]

रूई नियंत्रण (संशोधन) आदेश तथा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२०५

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से, निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २० अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६५६ में प्रकाशित रूई नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६३। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १३०१/६३**]

(२) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १५ के अन्तर्गत दिनांक २७ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२०५। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिय संख्या एल० टी० १३०२/६३**]

भारत प्रतिरक्षा (पांचवां संशोधन) नियम तथा निवारक निरोध अधिनियम की कार्यान्विति संबंधी सांख्यकीय सूचना

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)**: मैं भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ४१ के अन्तर्गत दिनांक २६ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४० में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (पांचवां संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखो गयी। देखिये संख्या एल० टी० १३०३/६३**]

मैं ३० सितम्बर, १९६१ से ३० सितम्बर, १९६२ तक की अवधि में निवारक निरोध अधिनियम, १९५० की कार्यान्विति संबंधी सांख्यकीय सूचना की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिय संख्या एल० टी० १३०४/६३**]

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रत्यर्पण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: मैं प्रत्यर्पण अधिनियम, १९६२ की धारा ३५ के अन्तर्गत दिनांक २२ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३२५ की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १३०५/६३]**

लौह अयस्क खनन उद्योग तथा चूने का पत्थर तथा डोलोमाईट खनन उद्योगों के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्डों की नियुक्ति

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)**: मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

लौह अयस्क खनन उद्योग के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की नियुक्ति के बारे में दिनांक ३ मई, १९६३ का सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी—२(१)/६२(१) ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १३०६/६३]

मैं चूने का पत्थर तथा डोलोमाइट खनन उद्योगों के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की नियुक्ति के बारे में दिनांक ३ मई, १९६३ का सरकारी संकल्प डब्ल्यू बी०—२(१)। ६२ (२) । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १३०७/६३]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही-सारांश

†**श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा)** : मैं चालू सत्र में हुई गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बैठकों (१३वीं से २१वीं) के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

याचिका समिति

कार्यवाही-सारांश

†**श्री तिरुमल राव** (काकिनाडा) : मैं चालू सत्र में हुई याचिका समिति की बैठकों (५वीं और छठी) के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : मैं वर्तमान सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और २९ अप्रैल, १९६३ को सभा को दिये गये गत प्रतिवेदन के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति-प्राप्त वित्त विधेयक, १९६३, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

†**श्री खाडिलकर** (खेड) : मैं सभा से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : क्या सभा के स्थगित होने से पूर्व, नियम ३२७ के अन्तर्गत, इस संबंध में आप सभा की राय लेंगे? क्योंकि सामान्यतया इस में कई सप्ताह लगते हैं, तो क्या सभा की राय सुनिश्चित करने के लिये आप इसे कल तक लम्बित कर देंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं देखूंगा, यदि ऐसा संभव हुआ तो ।

लोक लेखा समिति

बारहवां प्रतिवेदन

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं असैनिक लेखे के बारे में लोक लेखा समिति (दूसरी लोक सभा) की ३४वीं, ३७वीं और ४२वीं रिपोर्ट में दर्ज शेष सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में लोक लेखा समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७ के उत्तर में शुद्धि

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : तारांकित प्रश्न संख्या ६३७ पर, जिस का उत्तर लोक-सभा में २८ मार्च, १९६३ को दिया गया था, एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि चन्दा समिति की सिफारिशों का संक्षेप लोक सभा के पटल पर ४ जनवरी, १९६३ को रख दिया गया था । वास्तव में यह २२ जनवरी, १९६३ को सभा पटल पर रखा गया था ।

महान्यायवादी तथा श्री ए० वी० विश्वनाथ शास्त्री के प्रतिवेदन के प्रथम भाग के बारे में वक्तव्य

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : कुछ सदस्यों ने गत शनिवार को सर्वश्री सी० के० दफ्तरी और ए० वी० विश्वनाथ शास्त्री के प्रतिवेदन के भाग प्रथम की सभा पटल पर रखने का जो अनुरोध किया था उसके बारे में मैं एक वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूं । सभा को स्मरण होगा कि विधि मंत्री ने २९ अप्रैल के अपने वक्तव्य में बताया था कि सरकार क्यों इस प्रतिवेदन की सभा पटल पर रखना जनता मे हित में नहीं समझती । गत शनिवार की सभा में हुई चर्चा की दृष्टि से और जो आश्वासन दिया गया था उसके अनुसार, सरकार ने प्रतिवेदन के प्रथम भाग के रहस्योदघाटन की जांच की है । उन्हें यह बताते हुए खेद हो रहा है कि जिस दस्तावेज की प्रतियां कुछ माननीय सदस्यों को परिचालित की गई वह दफ्तरी-शास्त्री प्रतिवेदन के प्रथम भाग की ही प्रतियां हैं । सरकार को खेद है कि यह रहस्योद्घाटन हुआ, और उन परिस्थितियों की जांच करने के लिए, जिनमें यह रहस्योद्घाटन हुआ, आदेश पहले ही दे दिया गया है । क्योंकि इस प्रतिवेदन का प्रथम भाग पहले ही परिचालित हो चुका है इसलिये सरकार इसको मुफ्त बनाये

---

†मूल अंग्रेजी में

रखने का कोई लाभ नहीं समझती। इसलिये मैं उसे सभा पटल पर रखता हूं। [**(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १३१०/६३**]। इसकी प्रतियां लोक-सभा सचिवालय में भी उपलब्ध कर दी गई हैं।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : मेरा निवेदन है कि सभा में केवल रहस्योदघाटन सम्बन्धी प्रश्न ही नहीं उठाया गया था। एक ऐसा दस्तावेज जिसे सभा से इस आधार पर गुप्त रखा गया था कि उसका बताना जनहित में नहीं था। अतः यह एक औचित्य का प्रश्न है। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जांच किस अभिकरण द्वारा कराई जा रही है। और यह भी सुझाव दूंगा कि यह जांच सभा की एक समिति द्वारा कराई जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात इस प्रक्रम पर नहीं कही जा सकती। सरकार जांच करवा रही है और जब उस सम्बन्धी प्रतिवेदन सभा के समक्ष आयेगा उस समय आप यह कह सकते हैं .....: (**अन्तर्वाधा**) सरकार जांच करवा रही है। उस जांच को पूरा होने दीजिये। हो सकता है कि कुछ लोगों को विरोधी ठहराया जाय और उनका परीक्षण किया जाय अथवा उनके विरुद्ध कोई अन्य कार्यवाही की जाये (**अन्तर्बाधा**) यह इस समय हमारा काम नहीं है। उन्हें जांच करवाने दीजिये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : यह एक विशेषाधिकार का प्रश्न है क्योंकि एक दस्तावेज जो सभा से गुप्त रखी गई थी वह परिचालित हो गई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मालूम करना है कि हुक्म के लिये उत्तरदायी कौन है और उसके पश्चात उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध उचित कदम उठाये जाने हैं। जहां तक विशेषाधिकार के प्रश्न का सम्बन्ध है, जसा कि मैंने उस दिन कहा था, यदि अन्ततः यह मालूम हो गया कि ऐसा सरकार की लापरवाही के कारण हुआ अथवा कि किसी सरकारी अधिकारी ने इसे शाया किया तभी विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। जब तक इस बात का पता न लगे तो विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। औचित्य का प्रश्न हो सकता है, परन्तु इस बात का पता बाद में चलेगा। इस समय विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। आय-व्ययक का प्रकट होना भी विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं माना गया। इस सम्बन्ध में निर्णय कई बार हो चुका है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यह एक आश्चर्यजनक बात है कि सभा यह भी न जान सके कि जांच किस अभिकरण द्वारा कराई जा रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : निश्चय ही यह आश्चर्यजनक बात लगती है। परन्तु मैं इस समय यह उचित नहीं समझता कि इस सूचना के दिये जाने पर आग्रह किया जाय।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू)**: ऐसी जांच के लिये एक मात्र उचित अभिकरण भारत सरकार का गुप्तचर विभाग है

सभा के कार्य के बारे में

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : गत मास की १६ तिथि को संसद-कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि भविष्य में सभा के कार्य की योजना उचित ढंग से बनाई जायगी। परन्तु अब वर्तमान सत्र समाप्त होने को है फिर भी तीन मदें निबटाने के लिये शेष हैं : विवियन बोस

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विष्णु कामत]

आयोग का प्रतिवेदन, ढेबर आयोग का प्रतिवेदन और योजना आयोग पर चर्चा। इसके अतिरिक्त भी कुछ मदें शेष हैं। बकाया १०, १२ घंटों में विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन को लिया जायगा, परन्तु अन्य दो मदों का क्या होगा। यह दोनों मदें महत्वपूर्ण हैं। ढेबर आयोग के प्रतिवेदन को प्रत्येक सत्र में लम्बित किया जा रहा है। योजना आयोग पर चर्चा को भी दूसरे सत्र में लिया जाना था।

अन्त में मैं अनुरोध करूंगा कि अगले सत्र के कार्य के बारे में संसद-कार्य मंत्री अपने आश्वासन को ध्यान में रख कर योजना इस प्रकार बनायें कि सभा को नित प्रति दिन अधिक समय तक बठने के लिये बाध्य न करना पड़े ; और कार्य के अनुसार बैठकों का प्रबन्ध किया जाय। और यह सब आपके परामर्श से हो। सरकार को चाहिए कि कार्य का प्रबन्ध करने से पूर्व आप से परामर्श अवश्य किया जाय।

†**श्री सोनावन** (पंढरपुर) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। डालमिया जन समवायों के प्रशासन के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में श्री क० च० रेड्डी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा के लिये ९ अप्रैल के समाचार भाग २ के अनुसार १२ घंटे आवंटित किये गये हैं, परन्तु कार्य मंत्रणा समिति के १५वें प्रतिवेदन से मालूम होता है कि इसके लिये ६ घंटे का समय आवंटित किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों में से कौन ठीक है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस सत्र में हमें बैठक के निश्चित समय से अधिक समय तक बठना पड़ा, और शनिवार को भी बैठक हुई। मेरा अनुरोध है कि भविष्य में सभा के कार्य का प्रबन्ध अधिक उचित प्रकार से किया जाय ताकि अधिक समय तक बठने की नौबत न आये।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** यह एक असामान्य सा प्रस्ताव है कि हम ५ बजे के पश्चात् न बैठें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव इसकी बजाय यह होना चाहिए कि यदि आवश्यकता पड़े तो हमें अवश्य ही अधिक समय तक बैठना चाहिये। यहां हम आपात के बारे में और मेहनत करने की बात करते हैं, इसके बावजूद भी हम एक घण्टा अधिक नहीं बैठना चाहते। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। अन्य संसदें यदि आवश्यकता हो तो सारी सारी रात तक बैठती हैं परन्तु हम इतने नाजुक हो गये हैं कि कुछ समय अधिक बैठने से घबराते हैं।

†**श्री वासुदेवन नायर** (अम्बलपुज़ा) : केरल कृषिक सम्बन्ध अधिनियम जो उच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया है, जिसे संविधान संशोधन विधेयक पारित करने पर मान्यता प्राप्त हो सकती है इस विधेयक के पारित करने में केवल आध घण्टा अथवा एक घण्टा आवश्यक होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि उसे पारित कर दिया जाय, क्योंकि इससे बहुत से लोग प्रभावित होते हैं।

†**श्री बूटा सिंह** (मोगा) : मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि सराजुद्दीन के मामले में प्रतिवेदन कब तक सभा पटल पर रखा जायगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं कल इस बारे में एक वक्तव्य दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्री कामत ने चालू सत्र की चर्चा की है। मैं नहीं समझता कि मुझे, अथवा सरकार को, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को, इसके लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यदि उसके लिये कोई उत्तरदायी है तो वह समूची सभा है। हम सभी ने निश्चय किया था कि सभा ७ तारीख तक बैठे। यह अन्तिम तिथि है। हम ढेबर आयोग प्रतिवेदन और योजना आयोग दोनों को ले सकते थे यदि हम उसी अनुसूची के अनुसार चलते जिसे सभा ने स्वीकार किया था। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, कि सभा की इच्छा और आपके निर्णय के अनुसार ही सभा की बैठक का समय बढ़ाया गया। मैं कैसे ऐसा कर सकता हूं? स्वभावतः यह दोनों मदें अगले सत्र के लिये रखी जायेंगी।

भविष्य में कार्य के सम्बन्ध में हम सदैव यह प्रयत्न करेंगे कि सभा को दस दिन पूर्व इस की सूचना दी जाय। मैं तीन मास पूर्व यह नहीं बता सकता कि हम ३ मास पश्चात् क्या करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि आगामी दो दिनों में जो कार्य किया जा सकेगा वह किया जायेगा और कल सभा स्थगित हो रही है। जो कार्य शेष रह जायेगा उसे अगले सत्र में लिया जायगा।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : विवियन बोस आयोग प्रतिवेदन के लिये हमने १२ घंटे निश्चित किये हैं। यदि उसे समाप्त करना है तो मेरे मित्रों को ५ बजे के बाद बैठना पड़ेगा।

कुछ माननीय सदस्य : प्रतियां

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतियां काउंटर पर उपलब्ध हैं।

संविधान (सत्रहवाँ संशोधन) विधेयक, १९६३

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : श्री अ० कु० सेन की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह केरल सम्बन्धी विधेयक है?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी, हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री हजरनवीस** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

डालमिया-जैन समवायों के लिये जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कुछ डालमिया-जैन समवायों के प्रशासन की जांच करने के लिए नियुक्त किए गये जांच आयोग के प्रतिवेदन पर, जो २३ जनवरी, १९६३ को सभा की टेबल पर रखा गया था, विचार किया जाये ।"

आरम्भ में उन परिस्थितियों का संक्षेप में सर्वेक्षण करना लाभदायक सिद्ध हो सकता है जिनके कारण यह आयोग गठित हुआ । वर्ष १९४९ और १९५१ के बीच, डालमिया-जैन समूह के प्रबन्ध के विरुद्ध सरकार को कई शिकायतें प्राप्त हुईं । और वर्ष १९५२ में सरकार ने इन महत्वपूर्ण समवायों के समूह के कार्यों की छानबीन करने के लिये निरीक्षक नियुक्त किये । निरीक्षकों को अनेकों आपत्ति-जनक बातें डालमिय-जैन एयरवेज़ लिमिटेड के प्रबन्ध में मिलीं, और इस आधार पर समवाय पंजी-यक, दिल्ली, ने नवम्बर, १९५३ में विशेष पुलिस स्थापना के पास एक एफ० आई० आर० दर्ज कराई । विशेष पुलिस स्थापना ने, इसके पश्चात्, सारे देश में, डालमिया-जैन एयरवेज़ तथा अन्य सम्बद्ध सम-वायों की संगत पुस्तकों तथा लेखों के लिये कई बार खोज की और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ प्राप्त किये जो आयोग के सपुर्द कर दिये गये ।

जब यह जांचें चल रही थीं तो इसी समुह के भारत बीमा समवाय के कार्यों के बारे में छानबीन करने का आदेश दिया गया क्योंकि कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ निधियों का फेरबदल किया गया है । इस छानबीन के प्रतिवेदन में, जो जुलाई, १९५३, में पेश किया गया, यह बताया गया कि समवाय की निधियों में काफी गड़बड़ हुई है और अंशधारियों के हितों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया । तद-न्तर, जब यह बात सरकार के ध्यान में आई कि समवाय ने लेखा परीक्षक के व्यक्तिगत सत्यापन के लिये प्रत्याभतियां पेश नहीं कीं तो मामला विशेष पुलिस स्थापना के सपुर्द कर दिया गया । विशेष पुलिस द्वारा छानबीन किये जाने के पश्चात् श्री आर० डालमिया को गिरफ्तार कर लिया गया और तदन्तर उन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा १२०ख के अन्तर्गत, जिसे धारा ४०९ के साथ पढ़ा जाता है, दांडिक षड्यन्त्र और विश्वासघात के आरोपों पर अभियोग चलाया गया । वर्ष १९५९ में उन्हें दोषी ठहराया गया और दो वर्ष की आम कैद की सज़ा दी गई ।

उपर्युक्त जांचों और छानबीनों के पश्चात् सरकार ने महसूस किया कि डालमिया-जैन ग्रुप के प्रबन्धाधीन समवायों के कार्यों की विस्तृत छानबीन होनी चाहिए ताकि प्रबन्ध की कार्य प्रणाली के बारे में पूरे तथ्य सुनिश्चित किये जा सकें, इन समवायों से सम्बद्ध व्यक्तियों की कुरीतियों का भांडा फोड़ा जा सके, और भविष्य में ऐसी कुरीतियों को रोकने के लिये कदम उठाने सम्बन्धी सिफारिशें की जा सकें । इसलिये, सरकार ने दिसम्बर, १९५६ को जांच आयोग आदि नियम, १९५२ के उपबन्धों के अन्तर्गत एक जांच आयोग नियुक्त किया, जिसे नौ समवायों के प्रशासन के बारे में जांच करके प्रति-वेदन देना था, और यह देखना था कि सर्वश्री रामकृष्ण डालमिया, जयदयाल डालमिया, शान्ति प्रसाद जैन, शीतल प्रसाद जैन, श्रीयंसप्रसाद जैन तथा उनके नातेदारों, कर्मचारियों और उनसे सम्बद्ध व्यक्तियों का उन समवायों तथा सार्थों पर, परोक्ष रूप में अथवा अपरोक्ष रूप में, किस प्रकार का तथा किस सीमा तक नियन्त्रण था । और उसे यह भी प्रतिवेदित करना था कि आयोग की राय में ऐसे कौनसे प्रयत्न आवश्यक थे जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में समवायों तथा

---

†मूल अंग्रेजी में

सार्थों की निधियों तथा आस्तियों का उचित प्रशासन नियोजकों के हित में हो सके। तदन्तर, डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड नामक एक दसवें समवाय का नाम भी विधेयक में जोड़ दिया गया था।

पहले स्वर्गीय न्यायमूर्ति एस० आर० तेनडोलकर जो कि बम्बई उच्च न्यायालय के अध्यक्ष थे। जब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो १९४८ में उनकी जगह न्यायमूर्ति विवियन बोस को नियुक्त किया गया। उच्चतम न्यायालय के समक्ष तथा उच्च न्यायालयों के समक्ष असंख्य याचिकायें प्रस्तुत हुईं, आयोग को भी प्रार्थना पत्र आये, ये सब श्री आर० डालमिया तथा अन्य लोगों ने दिये थे। इन सब में आयोग की नियुक्ति के विरुद्ध कहा गया था। इस प्रकार की बातों से लगभग दो वर्ष तक आयोग का काम रुका रहा। आयोग ने उन रुकावटों का उल्लेख किया जो कि इन समवायों के व्यवस्थापिकों की ओर से पैदा की गयी है। ये लोग आयोग के समक्ष अपेक्षित साक्षियां प्रस्तुत नहीं होने देते रहे। इन कारणों से आयोग के काम की प्रगति काफी रुकी रही।

आयोग ने अपना प्रतिवेदन दो भागों में प्रस्तुत किया। प्रथम भाग १८ जून, १९६२ को प्राप्त हो गया था। इसमें जांचाधीन अनुसूचित समवायों में की गयी अनियमितताओं और कदाचरणों के सम्बन्ध में बताया गया है। प्रतिवेदन का दूसरा भाग ३१ अक्टूबर १९६२ को प्राप्त हुआ जिसमें भविष्य में ऐसी अनियमितताओं और कदाचरणों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या क्या पग उठाये जाने चाहिएं इस बारे में आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि आयोग को नियुक्ति के सम्बन्ध में जो मूल अधिसूचना निकली थी उसमें यह भा लिखा था कि आयोग कदाचरणों और अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या पग उठाये जायं, इसकी भी सिफारिश करेंगे। परन्तु इससे उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। इस के लिए याचिका श्री आर० डालमिया ने बम्बई उच्च न्यायालय में दी थी और फिर उन्होंने उसके निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की।

इस प्रकार आयोग को किसी कार्यवाही करने की सिफारिश करने से मना कर दिया। उच्चतम न्यायालय का मत था कि इस आयोग की स्थिति तो एक ऐसे न्यायाधिकरण की है जिसका काम तथ्यों का पता करना है। इसलिए प्रतिवेदन में तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। आयोग ने जो कुछ पता किया वे उपपत्तियां निम्न प्रकार हैं। सार्वजनिक समिति समवायों, बैंकों और बीमा समवायों के धन का, अन्य समवायों के लिए, जिनमें बड़ा संग्रहित निक्षेप था और उसके काफी संसाधन थे। इन समवायों को खरीदने के लिए उसका दुरुपयोग किया ताकि डालमिया-जैन संघ का उन पर नियन्त्रण हो जाय। इसका परिणाम यह निकला कि जिन लोगों के अंश इन सार्वजनिक समवायों में थे, वे लोग डालमिया-जैन संघ के अन्तर्गत आ गये। इस प्रकार उनको काफी हानि उठानी पड़ी। डालमिया-जैन संघ को लाभ पहुंचाने का दृष्टि से हा यह सब कुछ किया गया था।

बहुत से समवायों की आस्तियां दूसरों के यहां बदल दी गयीं जिससे तबादला करने वाले समवाय को काफी हानि उठानी पड़ी। उसके अंशधारी काफी हानि में रहे। इस ग्रुप के अधीन सार्वजनिक समवायों की आस्तियां उनके निकट सम्पर्क के निजी समवायों को हस्तांतरित कर दी गयी। और बाद में इन सब को परिसमाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त और भी कई एक हेरफेर किये गये। फर्जी निकाय बना कर उन्हें बिक्री एकाधिकार वाले अभिकर्ता नियुक्त कर दिया, और उन्हें बहुत ऊंचा वेतन दे दिया। बाद में समय से पहले करार तोड़ने पर उन्हें काफी भारी राशि मुआवजे के रूप में दी गयी। इस कार्य के लिए अनुग्रही परिसमापकों और "चार्टर्ड" लेखापालों की सेवायें प्राप्त की गयीं।

[श्री कानूनगो]

इसके अतिरिक्त इस ग्रुप की और कई एक अनियमितताओं का भी पता चला। कई राशियां बट्टे खाते में डाल दी गयीं, परन्तु उसका भुगतान कमीशन के रूप में उन्होंने स्वयं लिया था। नकली तथा फर्जी व्यक्तियों को अंशों का आवंटन किया गया। लेखा पुस्तकों, वाउचरों आदि को गलत तरीके से बना कर विभिन्न समवायों के विभिन्न वित्तीय वर्षों से लाभ उठाने के लिए अन्तर्समवाय ऋण और निधि का हस्तान्तरण के बारे में फर्जी मदों को दर्ज किया जाता रहा।

आयोग ने यह भी जांच की कि इस प्रकार विविध प्रकार के ढंग और तरीके अपना कर इस ग्रुप ने समवायों की आयकर देने की जिम्मेदारी को टालने का प्रयत्न किया। कर का आवंचन करना चाहा। हिसाब में गड़बड़ी कर नफों को दबा लिया गया। सारी बातों की छानबीन करके आयोग ने यह अनुमान लगाया कि इन समवायों ने विभन्न तरीकों से लगभग १५० लाख रुपये कर के बचा लिये। आयोग ने यह भी अनुमान लगाया है कि विभिन्न सांठ गांठ तथा हेर फेर की बुराइयों के फलस्वरूप इन समवायों में पूंजी लगाने वाली आम जनता की हानि लगभग २६० लाख रुपया है।

आयोग का विचार है कि यह जो कुछ भी हुआ है जो भी कदाचरण और हेरफेर हुए हैं और जनता को हानि हुई है, उसके लिए सब का उत्तरदायित्व मुख्यतः श्री आर० डालमिया है। इसके बाद नाम आता है श्री शांति प्रसाद जैन का। आयोग के विचार के अनुसार उन्होंने धोखाधड़ी और सांठगांठ के मामलों में प्रधान रूप से कार्य किया। और जो कुछ भी उन्होंने किया उसे ईमानदारी के व्यापार का तरीका नहीं कहा जा सकता। इस संदर्भ में आयोग ने वैयक्तिक सौदों के दूसरे मामलों में जिन व्यक्तियों के आचरण की आलोचना की है उनके नाम हैं, जे० डालमिया, श्रेयांस प्रसाद जैन और शीतल प्रसाद जैन।

जैसा कि २९ अप्रैल को सहयोगी विधि मंत्री महोदय ने बताया था कि इस प्रतिवेदन को श्री सी० के० दफ्तरी तथा श्री ए० वी० विश्वनाथ शास्त्री को निदिष्ट की गयी थी। प्रतिवेदन के प्रथम भाग में अनियमितताओं पर चर्चा है और कदाचरणों पर विवियन बोस आयोग ने टिप्पण प्रस्तुत किये हैं। और उन्होंने यह भी बताया है कि इस पर और क्या कार्यवाही की जा सकती है। उनकी राय है कि इन सन्देह वाले सौदों में दस ऐसे सौदे हैं जिनके मामलों से सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध अदालत में जाने की सम्भावना है। विवियन बोस आयोग के मतानुसार इस प्रकार की कार्यवाही की जानी चाहिए। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को यह प्रतिवेदन २५-४-६३ को दिया गया था। उन्होंने यह सिफारिश की है कि मामलों को अदालत में ले जाने से पूर्व कुछ और अधिक जांच पड़ताल होनी चाहिए। सरकार कार्यवाही करने पर विचार कर रही है। प्रतिवेदन भाग २ में समवाय अधिनियम और उसके प्रशासन में कुछ आवश्यक संशोधन करने पर चर्चा है।

प्रतिवेदन का दूसरा भाग सभा पटल पर रख दिया था। इस संदर्भ में मैं यह बता देना चाहता हूं कि सरकार ने समवाय अधिनियम की धारा २३७ के अन्तर्गत उन पांच समवायों की जांच के आदेश जारी कर दिये थे जो श्री एस० पी० जैन के नियंत्रण प्रबन्ध व्यवस्था के अधीन थे। वे समवाय हैं : "बैनेट कोलमेन लिमिटेड", "रोहतास इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड", "न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्ज़ लिमिटेड", "अशोक मारकेटिंग कम्पनी लिमिटेड" और "साहू जैन लिमिटेड"। अशोक मारकेटिंग कम्पनी लिमिटेड के बारे, में धारा २४९ के अन्तर्गत भी जांच का आदेश दिया गया है। एशिया उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के मामलों में धारा २३५ के अन्तर्गत जांच के आदेश दिये गये हैं।

मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि "बोस आयोग" तथा "दफ्तरी शास्त्री समिति" की विभिन्न सिफारिशों के बारे में सरकार समुचित कार्यवाही कर रही है। इस ग्रुप के प्रमुख सदस्य जिन व्यापारिक निकायों से सम्बन्धित हैं उनके प्रति भी सरकार काफी सचेत है। उन समवायों को लाइसेंस इत्यादि देने में अब उसे काफी सचेत रहना है। मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि इस ग्रुप के साथ सम्बन्ध रखने वाले दो व्यक्तियों ने दो प्रमुख बैंकों से अपने पदों को त्याग दिया है। यह उन्होंने प्रतिवेदन के प्रकाशित हो जाने के बाद किया है।

इस बारे में एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन जिन अनियमितताओं और कदाचारों के बारे में विवियन बोस आयोग ने अपने टिप्पण प्रस्तुत किये हैं। यह सब १९१३ के समवाय अधिनियम के अन्तर्गत हुए हैं। परन्तु १९५६ के समवाय अधिनियम तथा इसके बाद इसमें किये १९६० के संशोधन के पारित होने से हालात में काफी सुधार हुआ है। १९१३ के अधिनियम के अन्तर्गत समवाय विभाग प्रशासन भी नहीं था। समवाय अधिनियम के प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का था। इससे इस कार्य की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा सकता। इस असंतोष-जनक स्थिति को दूर करने के लिए ही केन्द्रीय सरकार ने १९५५ में गम्भीरता पूर्वक विचार किया। १९५६ में समवाय अधिनियम में संशोधन किया गया और इसके बाद एक संशोधन १९६० में किया गया। इससे समवाय व्यवस्था पर काफी नियंत्रण लगा दिये गये हैं। अनुचित लाभ उठाना आज की अवस्था में कोई सरल बात नहीं रह गयी है। अब एक समवाय से दूसरे भाई बन्धुओं के समवायों को कर्ज इत्यादि आसानी से नहीं दिये जा सकते। सार्वजनिक धन का दुरुपयोग नहीं हो सकता। भाई बन्धुओं को बिक्री की एजेंसियां नहीं दी जा सकतीं। अब कड़ा लेखा परीक्षण होता है और बहुत सी चीजें केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में हैं कर्मचारियों के वेतन इत्यादि का भी जांच पड़ताल होती है। अंशदारों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

मेरा कहना है कि मैंने उदाहरण के तौर पर १९५६ और १९६० में समवाय विधि में किये गये परिवर्तनों का उल्लेख किया था। मेरा उद्देश्य सदन को यह बताना था कि जिन बातों पर आयोग ने टिप्पण प्रस्तुत कीं वैसी बातें इन परिवर्तनों के बाद बहुत हद तक ठीक हो गयीं। स्वयं बोस आयोग ने अपने प्रतिवेदन के पैरा २ में कहा है :

> "कि समवाय अधिनियम १९५६ और इसके संशोधन विधेयक, १९६० के कारण बहुत महत्वपूर्ण और स्थायी परिवर्तन हो गये हैं। इससे १९१३ का भारतीय समवाय अधिनियम जिसका वर्तमान रूप १९३६ के संशोधन से हुआ था, काफी बदल गया है। विभिन्न प्रकार की कमियां और कदाचरण जो कि समवायों के प्रशासन में देखे जाते थे दूर हो गये हैं। बहुत सी त्रुटियों का उपचार हो गया है।
>
> सब से बड़ा कदाचरण जो बार बार हमारे नोटिस में आता रहा है, वह प्रबन्ध अभिकर्ताओं को बदलना और उन्हें मुआवजा देने का रहा है। इसकी अब समुचित व्यवस्था कर दी गयी है। अतः हमारे लिए इस दिशा में बहुत कुछ सिफारिश करने की गुंजाइश नहीं रही है।"

इसके बावजूद भी इसे तो स्वीकार करना ही होगा कि प्रबन्ध के सारे दोष तो दूर नहीं हो पाये। सब कुछ होते हुए भी बोस आयोग तथा दफ्तरी शास्त्री प्रतिवेदन में वर्तमान समवाय अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए सिफारिशें की हैं। उनसे और भी बहुत सी कमियां और दोष दूर हो जायेंगे।

[श्री कानूनगो]

अतः सरकार इस बात पर गम्भीरतापूवक विचार कर रही हैं । सरकार जैनकिन समिति की सिफारिशों पर भी विचार कर रही है । इस सारी सिफारिशों को अपने अन्तर्गत लेने वाला एक व्यापक संशोधन शीघ्र ही सदन के समक्ष लाया जायेगा । इसके साथ ही विभिन्न कानूनों को भी साथ साथ हरकत में लाया जायेगा । अन्त में मैं एक बार पुनः सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि बोस आयोग तथा दफ्तरी शास्त्री समिति की सिफारिशों के बारे में समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

अतः मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री बाकर अली मिर्जा** (वारंगल) : इस प्रतिवेदन का अध्ययन करने के लिए माननीय सदस्यों को समय दिया जाना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु अब इस मामले को और अधिक स्थगित नहीं किया जा सकता ।

†**श्री सोनावने** (पंढरपुर) : याचिका समिति के समक्ष श्री शांति प्रसाद जैन ने एक याचिका रखी थी । उसके सम्बन्ध में प्रक्रिया नियम ३०७ के उपनियम (३) के अन्तर्गत व्यवस्था यह है कि :

> "समिति का यह कर्तव्य होगा कि, ऐसा साक्ष्य प्राप्त करने के बाद, जैसा कि वह ठीक समझे, उसे सौंपी गयी याचिका में की गई विशिष्ट शिकायतें सभा को प्रतिवेदित करे और विचाराधीन मामले से सम्बन्धित, ठोस रूप में या भविष्य में ऐसे मामले रोकने के लिए, प्रतिकारक उपायों का सुझाव दे

यह उपबन्ध अधिदेशक है । अतः जब तक उस पर समिति न कर ले सदन में इस पर विचार नहीं हो सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री सोनावने की बात से सहमत नहीं हूं । उन्होंने जिस ३०७ नियम के उपनियम का उल्लेख किया है वह व्यक्तिगत मामलों के लिए है । इस बारे में मंत्री महोदय ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है । यदि वह स्थगित करने का प्रस्ताव करना चाहे तो कर सकते हैं ।

†**श्री सोनावने** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि कुछ डालमिया जैन समवायों के प्रशासन की जांच करने के लिए नियुक्त किये गये जांच आयोग के प्रतिवेदन पर जो २३ जनवरी, १९६३ को सभा पटल पर रखा गया था, पर विचार अगले सत्र तक स्थगित कर दिया जाय ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि कुछ डालमिया जैन समवायों के प्रशासन की जांच करने के लिए नियुक्त किये गये जांच आयोग के प्रतिवेदन पर जो २३ जनवरी, १९६३ को सभा पटल पर रखा गया था, पर विचार अगले सत्र तक स्थगित कर दिया जाय ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : सदन इस प्रतिवेदन पर चर्चा कर सकता है।

इस प्रस्ताव पर कुछ स्थानापन्न प्रस्ताव भी हैं जिन्हें सदस्य प्रस्तुत कर सकते हैं :—

स्थानापक्ष प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	विषय (संक्षेप में)
१.	श्री दाजी	सम्बद्ध मामलों में दोषी व्यक्तियों को तुरन्त सजा दी जाय।
२.	श्री स० मो० बनर्जी	इस उद्देश्य के लिए विधान बनाने का सुझाव।
३.	श्री सुरेद्रनाथ द्विवेदी	सजा देने और समुचित व्यवस्था करने का सुझाव।
४.	श्री त्रिदिब कुमार चौधरी	सम्बद्ध दोषियों को सजा देने का सुझाव।
५.	श्री द्वा० ना० तिवारी	इस मामले की जांच की जाय और सम्बद्ध दोषियों को सजा दी जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सभी स्थानापन्न संशोधन सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : इस प्रतिवेदन को ऐतिहासिक कहा जा सकता है। इस पर चर्चा करते समय हमें और भी कई एक पुराने घुटालों पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। देश के गैर सरकारी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा व्यापारिक ग्रुप प्रथम बार इस तरह पकड़ा गया है। यह वही लोग हैं जो हरेक समय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कोसते रहते है। छानबीन करने पर पता चला है कि ये लोग किस प्रकार भ्रष्टाचार और कदाचरण में फंसे पड़े हैं। इससे यह पता चलता है कि ये बड़े बड़े व्यापारी किस तरह शोषण करते हैं।

श्री रामकृष्ण डालमिया की एक पुस्तक मुझे भेंट की गई है जिसमें उन्होंने यह इशारा दिया है कि वे दुनिया से किनारा कर रहे हैं और ये सब चीज़ बेनामी निदेशकों के हवाले कर रहे हैं। दूसरे पृष्ठ पर उन्होंने लिखा है कि दुर्भाव न रखा जाये। मैं श्री डालमिया को आश्वासन दे सकता हूं कि भाषण देते समय मेरे मन में कोई दुर्भाव नहीं है। बड़े बड़े व्यापारियों की नैतिकता देखिए कि वे हर सम्भव नैतिक तथा कानूनी अपराध करते है किन्तु वे सन्तों का व्यवहार करके लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं।

प्रतिवेदन को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग वह है जिसमें बताया गया है कि साधारण हिस्सेदारों को कैसे लूटा गया है। यह रकम करोड़ों रुपयों में है। एक ही व्यक्ति के मामले में आयोग ने कहा है कि राशि ३ करोड़ रुपये थी। दूसरे व्यक्ति के मामले में राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सका, क्योंकि खाते आदि नहीं दिखाये गये।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दाजी]

मुझे खेद है कि मैं सरकार के और महान्यायवादी के समस्त दृष्टिकोण से असहमत हूं। यदि हम प्रतिवेदन के पृष्ठ १८ को देखें, तो आयोग ने सिद्ध किया है कि इन व्यक्तियों ने एक गुट के रूप में काम किया था और उन्होंने कैसे चोर बाजारी का रुपया कैसे कम्पनियां खोलने के लिए प्रयोग किया और सार्वजनिक कम्पनियों का रुपया कैसे निजी कम्पनियों के हाथों में दिया जाये और कैसे असुरक्षित ऋण दिये गये। ये सब काम, जैसा कि आयोग ने कहा है, एक गुट द्वारा किये गये हैं।

मैं आयोग को उसके अच्छे काम पर बधाई देता हूं। किन्तु इतना ही काफी नहीं है। इसकी अधिक गहरी जांच करनी चाहिये थी। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में जो चीजें गिनाई है, यदि वे उस गुट ने अपने स्वार्थ के लिए की हैं, तो यह स्पष्ट रूप से एक कानूनी षडयन्त्र है। हमें किसी व्यक्ति विशेष को खोजने की आवश्यकता नहीं। यह षडयन्त्र तीन व्यक्तियों ने शरू किया था और बाद में उसमें और लोग मिल गये थे। इस गुट का काम यह था कि वह प्रतिवर्ष काले बाजार के रुपये के हिस्से वितरित करें और करोड़ों रुपयों का गबन करें। यदि यह इतना भारी षडयन्त्र था, तो इसकी जांच पड़ताल भी ६ वर्षों से हो रही है। अब यह कब समाप्त होगी।

कानूनी तौर पर यह बात मानी गई है कि षडयन्त्र के मामले में हर एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व निश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती। यह आश्चर्य की बात है कि इस मामले में इतना विलम्ब क्यों किया गया है। हमें मालूम हुआ है कि पंजाब में श्री कैरो की हत्या करने के प्रयत्न के शक में एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया है और उसके विरुद्ध षड्यन्त्र का आरोप लगाया गया है। किन्तु बड़े बड़े व्यापारियों के मामलों में कोई कागज नहीं पकड़े गये और केवल जांच हो रही है। मुझे यह भी कहना पड़ेगा कि इसम्बन्ध में प्रतिवेदन के सम्बन्ध में जो रहस्य प्रकट हुए है वे और भी शर्म की बात है। इससे उन लोगों को सहायता पहुंचेगी जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है। एशिया उद्योग की तरफ से, जो कि डालमिया का एक समवाय है, हमें प्रतिवेदन की प्रतियां भेजी गई हैं। क्या इससे अधिक शर्म की बात कोई और हो सकती है? इससे यह भी साबित होता है कि बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ इतने लम्बे हैं कि वे महान्यायवादी, विधि मन्त्री, वाणिज्य और उद्योग मन्त्री और मैं सरकार के सभी मन्त्रालयों तक पहुंच सकते है। उनके हाथ चाहे कितने ही लम्बे हों, फिर भी यह देखना चाहिये कि वे संसद् की सर्वप्रभुत्व सम्पन्न शक्तियों से छोटे हों।

मैं यह कहना चाहूंगा कि शान्ति प्रसाद जैन की सफाई का कुछ महत्व नहीं है। उनका कहना है कि अपराधी केवल वही नहीं है, और भी हैं, जैसे कि मफतलाल, बिरला, टाटा आदि। इसलिए वे पूछते है कि केवल उन्हें क्यों दोषी ठहराया जाये। में सरकार को यह सुझाव दूंगा कि यदि वह बिरला, टाटा और अन्य उद्योगपतियों के विरुद्ध गवाही देने के लिए तैयार हों, तो उन्हें सरकारी गवाह बना कर माफ़ कर दिया जाये। आयोग ने भी यही राय दी है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

प्रतिवेदन से प्रकट होता है कि डालमिया और जैन जैसे उद्योगपतियों ने कैसे काम किया है। आयोग और महान्यायवादी ने कहा है कि बिना देखे भाले हिस्सों का हस्तांतरण जाली निदेशक रखना, मूल पुस्तकें देखे बिना लेखों का लेखा परीक्षकों द्वारा पारित कर दिया जाना, नियन्त्रित कम्पनियों का दुरुपयोग बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए साधारण बातें है। एक और प्रचलित बात यह है कि कुछ बड़े बड़े अमीर उद्योगपति अपना मकान या कार नहीं रखते। वे कम्पनी को नाममात्र किराया देते हैं और कम्पनियों की कारें प्रयोग में लाते है। इससे अधिक अनैतिकतापूर्ण बात और क्या हो सकती है?

यदि १९४७ से १९५८ तक के आंकड़े देखे जायें, तो मालूम होगा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपनी आस्तियां दुगनी कर ली हैं। प्रो० हजारी ने बताया है कि टाटा ने अपना पूंजी स्कन्ध १५२ करोड़ रुपये से ३८८ करोड़ रुपये कर लिया है, बिरला ने ६५ करोड़ से १५९ करोड़, मार्टिन बर्नने ४० करोड़ से ९२ करोड़ और डालमिया जैन ने ३१ करोड़ से ७६ करोड़ रुपये कर लिया है। पहले वे सीमित विनियोजन करते हैं, फिर वह कम्पनी दूसरी कम्पनी में रुपया लगाती है और फिर यह प्रक्रिया चलती रहती है।

मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ है कि पिछले वर्ष भारत में तीन प्रबन्ध अभिकरणों का सार्वजनिक कम्पनियों के सारे विनियोग के २० प्रतिशत पर नियन्त्रण है। इससे प्रकट होता है कि केन्द्रीयकरण किस हद तक बढ़ गया है। बैंकों का भी यही हाल है। बैंकों के लगभग आधे निदेशकों का किसी न किसी उद्योग से सम्बन्ध है और वे एक दूसरे को ऋण देते रहते हैं और इस तरह उन्होंने एक पारस्परिक सहकारी संस्था बनाई हुई है। आये दिन हम किसी न किसी अपवाद के बारे में सुनते हैं। आप देखिए इस समवाय ने १ करोड़ रुपये आयकर का अपवंचन किया है, जो कि वास्तव में अवैध तरीकों से किया गया है। औद्योगिक लाइसेंसों के बारे में बताया गया है कि ४००० लाइसेंसों में से १८५ केवल ६ बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिये गये हैं। किन्तु यदि इसका ब्यौरा देखा जाये, तो मैं पूछना चाहूंगा कि ४००० लाइसेंसों का कुल मूल्य कितना है और उन १८५ लाइसेंसों का कुल मूल्य कितना है, जो कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिये गये हैं।

इस बात की भी खोज होनी चाहिये कि उद्योगपति कैसे कम्पनी की कार और मकान का प्रयोग करते हैं और कोई किराया नहीं देते ? इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है। मैं समझता हूं कि आय-कर में एक ऐसी त्रुटि है जिसके कारण करोड़ों रुपये बचाये जा सकते हैं। श्री मुरारका ने बताया है कि ग्वालियर रेयन्स का पिछले वर्ष का लाभ २२५ लाख रुपये था किन्तु उसने केवल १० लाख कर दिया, उसको शुद्ध लाभ २१५ लाख रुपये था। ऐसा केवल आय-कर अधिनियम में त्रुटि के कारण ही हो सकता है।

अब मैं जे० के० उद्योग समूह के बारे में बताना चाहता हूं। क्या यह सच नहीं है कि उसने ७ करोड़ रुपये का करापवंचन किया है। इस करापवंचन का पता लगाने वाले व्यक्ति श्री गोयनका को ३२,००० रुपये दिये गये हैं। आपने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार करापवंचन को अपराध नहीं समझ सकती ? सरकार ने अपनी कमजोर नीति और हिचकिचाहट के कारण बड़े बड़े उद्योगपतियों को इतना बढ़ा दिया है कि उनसे खतरा पैदा हो गया है। हमने यह प्रश्न भी उठाया है कि सरकार के महत्वपूर्ण सचिवों को बड़े बड़े उद्योगपति अपने समवायों में रख लेते हैं। उन्हें सेवा निवृत्ति से पहले ही सेवा के लिए निश्चित कर लिया जाता है। और ये उद्योगपति इन भूतपूर्व सचिवों के द्वारा लाइसेंस लेने में सफल होते हैं। जब तक आप बड़े बड़े उद्योगपतियों की शक्ति कम नहीं करते, आपकी प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली जारी नहीं रह सकती। हमें याद रखना चाहिये कि धन के केन्द्रीयकरण पक्षपात, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार बढ़ता है और देश की अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो पाती। यह भी देखना चाहिये कि डालमिया-जैन उद्योग समूह के साथ कितने बड़े बड़े व्यक्ति सम्बद्ध रहे हैं और उनका कितना रुपया कांग्रेस के चुनाव निधियों में गया है।

सरकार को बड़े बड़े उद्योगपतियों से ऋण लेना बन्द कर देना चाहिये। हमने प्रधान मन्त्री से प्रार्थना की थी कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डलों के संघ के सम्मेलन में न जायें और उन्हें शान्ति प्रसाद जैन से भी नहीं मिलना चाहिये था।

[श्री दाजी]

अब मैं ठोस सुझाव देता हूं। कम्पनी विधि प्रशासन में आमूल परिवर्तन करना चाहिये और इसकी सब त्रुटियां दूर कर दी जायें। अपराधियों के विरुद्ध तत्काल अभियोग चलाये जायें। डालमिया-जैन समूह के सभी समवायों को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। उनकी जो ऋण संस्थायें है, उन्हें भी सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। अब समय आ गया है जबकि हमें लेखा परीक्षा सेवा का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये।

सरकार को भारत की प्रतिरक्षा नियमों से लाभ उठा कर आयकर अपवंचन के मामलों की जांच करने के लिए एक न्यायाधिकरण नियुक्त करना चाहिये। बड़े व्यापारियों की बुराइयां का पता लगाने के लिए कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

†**श्री रा० गि० वुबे** (बीजापुर–उत्तर) : मेरे विचार में इस प्रतिवेदन की चर्चा से दो तीन पहलू उत्पन्न होते हैं, वे ये कि वर्तमान कम्पनी विधि में संशोधन करके इसकी त्रुटियां दूर की जायें औद्योगिक नीति को बदला जाये और तीसरा यह कि अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

श्री विवियन बोस और उनके सहयोगी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इतना प्रशंसनीय काम किया है। प्रतिवेदन में पक्षों के प्रति न्याय किया गया है। उसमें बताया गया है कि इन कम्पनियों में नियंत्रण का दुरुपयोग कैसे किया गया है। इसका एक पहलू आस्तियों का अनुचित हस्तांतरण था। दूसरा परिसमापन था और तीसरा लेखा पुस्तकों का नष्ट करना था।

धन का विनियोग करने वाली जनता से ३ करोड़ रुपये का धोखा किया गया है। इस बात का प्रबन्ध किया जाये कि भविष्य में ऐसी बातें फिर न हों।

मैं समझता हूं कि निगमित क्षेत्र में ५० प्रतिशत मामलों में बुराइयां प्रचलित हैं। मेरे विचार में यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरकारी क्षेत्र के प्रति क्या नीति अपनाई जाये। मैं समझता हूं कि सरकारी क्षेत्र में लगाया गया रुपया बहुत कम है। हमें देश में एकाधिकार पंजीवाद की प्रणाली को रोकने के लिए कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी। अन्यथा वे सब शक्तियां नष्ट हो जायेंगी जो देश में सरकारी क्षेत्र का विकास करना चाहती हैं। सरकारी क्षेत्र का विकास इस शर्त के साथ शीघ्र से शीघ्र करना चाहिये कि हम अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकें और साथ साथ देश में कोई असैनिक गड़बड़ी न हो इन दो शर्तों के साथ सरकारी क्षेत्र का विकास अधिक तेज़ी से होना चाहिये।

भारत में हम देखते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र के लोग राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास में उतना योग नहीं दे सकते, जितना अन्य देशों में हो सकता है, क्योंकि उनके पास उतने संसाधन नहीं हैं। उसे मुख्यतः सरकारी ऋणों पर ही निर्भर करना पड़ता है। ६० से ८० प्रतिशत ऋण सरकार निजी क्षेत्र को देती है जिससे वे एकाधिकार नियंत्रण बनाते हैं।

मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में कोई त्रुटियां नहीं हैं। मुझे मालूम है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम की स्थिति गैर-सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा खराब है। किन्तु सरकारी क्षेत्र पर हमारा नियंत्रण तो है और उनके निदेशक बोर्ड को बदला जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं सरकार की नीति का समर्थन करता हूं । कार्यवाही करना मैं सरकार पर छोड़ता हूं । किन्तु सरकार को कम्पनी विधि में सुधार करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये और उस के प्रकाश में औद्योगिक नीति में संशोधन करना चाहिये ।

†**श्री सुमत प्रसाद** (मुजफ्फरनगर) : उद्योगों के विकास से गैर सरकारी क्षेत्र को काफी लाभ पहुंचा है, किन्तु अन्य क्षेत्रों और लोगों के तदनुरूप लाभ नहीं हुआ । बोस आयोग की रिपोर्ट को पढ़ कर दुख होता है कि किस प्रकार हिसाब-किताब में गड़बड़ी होती है और आयकर को बचाने के लिये अंशधारियों को भी धोखा दिया जाता है ।

श्री शान्ति प्रसाद जैन का यह तर्क, कि डालमिया-जैन ग्रुप नहीं है, पृष्ठ १७९ में दिये गये कागज से झूठा सिद्ध होता है । अंश बनामी थे, और प्रबंध तथा बिक्री के अभिकरण भी इस ग्रुप के थे । सर्वश्री रामकृष्ण डालमिया, जय दयाल डालमिया और शांति प्रसाद जैन इन तीनों के साझे अंश, सांझी पूंजी और सांझे हितों का उल्लेख इस दस्तावेज में किया गया है जो हिन्दी में हैं । अतः उनका ग्रुप सिद्ध हो जाता है ।

युद्धोपरांत निपटान का माल खरीदने के लिये डालमिया-जैन विमान समवाय बनाया गया, किन्तु उस सौदे का लाभ अंशधारियों को प्राप्त नहीं हुआ, लाभ प्राप्ति के समय समवाय डी० सी० पी० एच० को हस्तांतरित कर दी गई और डालमिया जैन समवाय तोड़ दिया गया । श्री शान्ति प्रसाद इस तथा अलनबरी दोनों का निदेशक था । इस प्रकार लोगों को धोखा देकर इन्होंने बड़ा लाभ कमाया । यह काम एक षड्यंत्र के द्वारा किया गया । बोस आयोग ने ठीक कहा है कि सरकार इन निष्कर्षों के आधार पर इस मामले को आगे बढ़ाने के लिये युक्तियुक्त है ।

शान्ति प्रसाद जैन ने १९४८ में डालमिया जैन ग्रुप के विघटन का तर्क दिया है । किन्य वह फिर भी निदेशक बना रहा । श्री जैन ने अपने बयान में बताया कि उक्त समवायों पर उनके सक्रिय प्रभाव का फैसला हुआ, किन्तु उनकी आस्तियां सांझी बनी रहीं । आयोग ने १९४८ की तिथि को कोई महत्व न देकर कहा है कि तब से विभाजन सिद्ध नहीं होता ।

शान्ति प्रसाद जैन ने अंश खरीदने के लिये व्यय की गई पूंजी का स्रोत बताने से इनकार किया, क्योंकि इस से उसके और कई आरोप सिद्ध होने की आशंका थी, जो समवाय पंजीयक दिल्ली द्वारा उस के ऊपर लगाये गये थे उसके वकील श्री वेदव्यास के बयान के बाद में यह कह कर गलत सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया कि उस ने श्री जैन के परामर्श के बिना वे बयान दिये थे, परन्तु इस बात को लिखित रूप में देने से इनकार कर दिया । वास्तव में सभी अंश उनके सांझे थे, किसी एक व्यक्ति के नहीं थे । अतः विश्वास भंग और षड्यंत्र का दोष सिद्ध होता है ।

गैर सरकारी क्षेत्र की ऐसी हालत को देखते हुए समवाय विधि में परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव हुई ताकि बोगस निदेशक न रहें और कुछ ही लोगों का एकाधिकार न बना रहे । छोटे अंश-धारियों के हितों की रक्षा के निमित्त स्वतंत्र निदेशक होने चाहिये ।

समवायों को अपने लेखा परीक्षक नहीं रखने देना चाहिये । कार्यालय लेखापरीक्षकों का भी कर्तव्य होता है कि वे संतुलन पत्र की जांच करे । सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह गैर सरकारी क्षेत्र के अंशधारियों को धोखे से बचाने की व्यवस्था करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुमत प्रसाद]

स्वैच्छिक परिसमापन करके, अंशों का मूल्य ५ रुपये प्रति अंश घटा कर डालमिया-जैन ने करोड़ों रुपये कमाये। हिसाब-किताब छिपाये गये और न्यायालय ने भी परिसमापक की विलय की योजना मान ली। अतः ऐसा उपबंध होना चाहिये कि न्यायालय के सामने परिसमापन के मामले में सभी तथ्य रखे जायें।

†**श्री कृष्णपाल सिंह** (जलेसर) : डालमिया-जैन ग्रुप की जांच से गैर सरकारी क्षेत्र की कुरीतियां और गड़बड़ें प्रकाश में आई हैं। या तो विधि में त्रुटि है या विधि के प्रशासक इन को रोकने में असमर्थ हैं।

श्री दाजी ने गैर सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध जो बातें कही हैं मैं उनसे तो सहमत हूं किन्तु उनके राष्ट्रीयकरण की बात मुझे नहीं जंचती। हमें बीमारी का इलाज करना चाहिये न कि अंग को काट देना चाहिये।

सरकार ने अभी तक समवायों के प्रबंध तथा स्वामित्व में कर्मकारों और कर्मचारियों को हिस्सा न देकर बड़ा अन्याय किया है। यदि कर्मचारियों को प्रबन्ध में हिस्सा दिया जाये तो उससे एक तो हड़तालें बन्द हो जायेंगी, उत्पादन बढ़ेगा और दूसरे अंशधारयों के हितों की रक्षा हो सकेगी, क्योंकि वे उत्तम प्रबंध करने में सफल होंगे। अपराधी लोगों को दण्ड मिलना चाहिये किन्तु लोगों का नैतिक स्तर भी उठाने का प्रयत्न होना चाहिये। हर स्थान पर ऐसी बुराइयां विद्यमान हैं जिनका उल्लेख बोस आयोग ने किया है।

प्रश्न यह है जैसा कि बोस आयोग ने भी कहा है कि ये बुराइयां सभी उद्योगों में विद्यमान हैं, फिर अकेले डालमिया-जैन को ही क्यों पकड़ा गया? श्री बनर्जी ने ठीक कहा है कि इन को इसलिये पकड़ा गया है क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के लिये बहुत अधिक धन नहीं दिया। अपराधी को सुनवाई का अवसर दिया जाये फिर दोषी सिद्ध होने पर दण्ड दिया जाये।

हमें गैर सरकारी क्षेत्र को बने रहने देना चाहिये और प्रबंध तथा स्वामित्व में कर्मचारियों को हिस्सा देना चाहिये। प्रबंध उपक्रमियों को ईमानदार तथा कुशल होना चाहिये। हम आशा करते हैं कि सरकार इन बातों का उपबंध करने के लिये समवाय विधि में समुचित संशोधन करेगी।

लेखा परीक्षकों को भी ईमानदार और जागरूक होना चाहिये। अपराधी लोगों के साथ हमें अनुचित सख्ती नहीं करनी चाहिये बल्कि परिस्थितियों के अनुसार उन के बारे में विचार करना उचित है। अपराधी लोगों को सभा के समक्ष अपनी बात कहने का अवसर दिया जाना चाहिये और उसके बाद ही कोई निर्णय किया जाना चाहिये।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (राजगंज) : इस मामले पर विचार करने के लिये हमारे सामने बोस आयोग तथा दफ्तरी समिति के प्रतिवेदन, श्री जैन की अभियाचिका, उनकी धर्मपत्नी की तारें तथा डालमिया फर्म के कर्मचारियों का अभ्यावेदन और एशिया उद्योग का आभ्यावेदन हैं। हमें इन सब को पढ़ने के पश्चात् किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। दफ्तरी रिपोर्ट के पता लग जाने में अवश्य किसी निहित स्वार्थ व्यक्ति का हाथ होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जैन की धर्म पत्नी ने कहा है कि १९५३ में पुलिस को पहली सूचना मिले ९ ½ वर्ष हो गये किन्तु न तो कोई रिपोर्ट पेश हुई है और न ही जांच समाप्त की गई है। सरकार को इस का जवाब देना चाहिये। डालमिया फर्म के कर्मचारियों ने पूछा है कि अन्य बड़ी व्यवसायिक फर्मों के विरुद्ध क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सरकार को इस का भी उत्तर देना चाहिये।

श्री जैन ने कहा है कि आयोग के निष्कर्षों में गलती है, दूसरे आयोग द्वारा ढूंढी गई गलतियों के लिये श्री जैन का उत्तरदायित्व नहीं, और तीसरे आयोग ने जिस तरीके से समूचे मामले पर विचार किया है, वह पूर्णतः न्यायोचित नहीं। दफ्तरी समिति ने बोस आयोग के निष्कर्षों को सही माना है और श्री जैन की शिकायत का खण्डन किया है। समवाय विधि में संशोधन के बारे में बोस आयोग और दफ्तरी समिति के निष्कर्ष एक हैं। डालमिया–जैन एयरवेज द्वारा पूंजी जुटाने के बारे में उन्होंने लिखा है कि उनका पूंजी से युद्धोपरांत मोटरें आदि खरीदने का इरादा था।

१९४६ में भारत के लिये भाग्यशाली समय था और डालमिया-जैन के लिये भाग्यहीनता का, क्योंकि तब लयाकत अली बजट से अंश बाजार में अत्यधिक मन्दी आ गई थी।

जांच में छः वर्ष लग चुके हैं। पता नहीं कितना और समय लगेगा। एक अज्ञात वकील ने अपराधिक षड्यंत्र, धोखेबाजी आदि के मुकद्दमे चलाये जाने को युक्तिसंगत ठहराया है।

कुछ लोग समाज का अपना स्थान बना कर, जनता से और सरकार से धन प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा सरकारी तंत्र के ऊपर नियंत्रण करके अप ने आप को अधिकाधिक धनी बनाते हैं। श्री शास्त्री की सिफारिश भी इस बात की पुष्टि करती है। इस से हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि किसी न किसी स्तर पर सरकारी अधिकारी और व्यापारी लोगों में अनुचित सम्बन्ध स्थापित हो कर इस प्रकार की गड़बड़ें की जाती हैं। अन्यथा, यदि इन दोनों ने ठीक से काम किया होता तो आज देश की स्थिति बहुत अच्छी होती।

यह सब काम निर्धनता के कारण नहीं किये जाते अपितु लालच के कारण किये जाते हैं। यदि इसे न रोका गया तो जहां एक ओर तो समाज का आयोजित निर्माण चल रहा है दूसरी ओर उसमें विष व्याप्त हो रहा है और इसका भयंकर परिणाम होगा। इसे रोकने के लिये नैतिक मूल्यों को प्रमुखता देनी होगी जिस पर गांधी जी ने बहुत जोर दिया था और प्रधान मंत्री भी बल दे रहे हैं। नैतिक स्तर को ऊंचा उठा कर ही इन बुराइयों को दूर किया जा सकता है।

मैं विरोधी दलों से अपील करूंगा कि वे परम्परागत नैतिक नियमों का पालन करने से लोगों को रोक सकते हैं किन्तु उनको वैकल्पिक सिद्धान्त नहीं दे पाये। अतः उनको चाहिये कि वे मेरे साथ इस अपील में सहयोग दें कि मनुष्य को उतना ही लेने का हक होता है जितना उसकी भूख मिटाने के लिये पर्याप्त हो। लोगों में धर्म बुद्धि की भावना होनी चाहिये। तभी स्थिति में सुधार हो सकता है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मांदसौर) : इस भारी भरकम रिपोर्ट से निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को अधिकाधिक धन प्राप्त करने के लालच के कारण इस प्रकार की बड़ी बुराइयां समाज में व्याप्त होती हैं। परन्तु इस स्थिति के लिये कौन उत्तरदायी है? श्री डालमिया कांग्रेस को बहुत भारी रकम दिया करते थे। और इसी कारण सरकार वर्षों तक चुप बैठी रही। धनी लोगों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

का पेस पर सरकारी तंत्र पर अधिकार होने के कारण उनकी बातें छिपी रहती हैं। जीप, उर्वरक मुन्द्रा आदि के अनेक गोलमाल ऐसी ही स्थिति में हुए हैं। हम लोग राजनीतिक जीवन के कारण बहुत सी बातों को छिपाते हैं। जो व्यक्ति लोगों की खून पसीने की कमाई को हड़पता है वह दुष्ट होता है। परन्तु आश्चर्य की बात है कि वर्तमान विधि के अनुसार अपराधी अपराध को स्वीकार नहीं करता।

इतनी भारी रिपोर्ट को बनाने में छः वर्ष बीत गये और फिर भी इसमें यही कहा गया है कि अग्रेतर जांच की आवश्यकता है।

आश्चर्य की बात है कि जजों ने जिन पर भारी खर्च किया जाता है डी० जे० एयरवज के मामले में समवाय विधि की धारा २८२ का उल्लेख किया है जब कि यह धारा पुरानी विधि में तो है किन्तु १९६३ की विधि में नहीं। उन्होंने यह भी देखने का प्रयत्न नहीं किया कि अपराध किस वर्ष में किया गया था।

इस जांच का क्या फल हुआ है जिस पर इतना भारी खर्च किया गया है जब कि इस पर इतना समय नष्ट होने पर भी अग्रेतर जांच की जरूरत समझी गई है और इसका फल भी बहुत कम होने वाला है। सब निहित स्वार्थी लोग अपना पेट भरने में लगे हैं और यह लोभ समाप्त नहीं होता।

क्या हमारी विधि तथा अफसर अपराधी को पकड़ने में समर्थ नहीं हैं? मुझे सुचना मिली कि १९४८ और १९५७ के बीच कुछ लोग धोके से ७ करोड़ की विदेशी मुद्रा ले गये जिसकी सुचना गृह मंत्री को दे दी परन्तु रिजर्व बैंक आदि के बड़े बड़े अफसर क्या इन बातों का पता नहीं लगा सकते। आयकर से बचने के लिये लोग काफी रकम लेते हैं।

१९५३ में संयुक्त स्कन्ध समवायों के पंजीयक ने एक लम्बी चौड़ी शिकायत दर्ज की थी और १९५६ में आयोग नियुक्त किया गया। इन तीन वर्षों में क्या जांच की गई? विधि का एक सिद्धान्त है कि अपराध को करने वाले व्यक्ति पर विशिष्ट आरोप लगाया जाए। "डालमिया-जैन एयरवेज समवाय के सभापति और जैन समवाय के अन्य सदस्यों द्वारा"—ऐसी बात मैंने अपराध विधि में कहीं नहीं पढ़ी। कोई निगमित निकाय समवाय विधि या प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत ही अपराध कर सकता है और उसका दण्ड जेल भेजना नहीं है। क्या डालमिया जैन एयरवेज को जेल भेजा जाएगा? उस ने दस वर्ष पहले अपराध किया और आज उस पर चर्चा हो रही है। इतना समय जांच में ही नष्ट हो गया।

आज प्रातःकाल के एक दस्तावेज़ के द्वारा पता चला कि मामला श्री सतीशचन्द्र ज़िला मैजिस्ट्रेट के सामने है। क्या इस हालत में लोक सभा में की गई चर्चा का न्यायपालिका के निर्णय पर असर नहीं पड़ेगा?

बोस आयोग ने देश भर से कुछ दस्तावेज़ काबू करने के लिये जिला मैजिस्ट्रेट को कहा और वे कागज जब्त करने के लिए वारंट जारी किये गये। उस तंत्र का उपयोग बोस आयोग द्वारा नहीं किया जाना चाहिये था। धन के लिये लोभ लोगों में बहुत बढ़ा हुआ है। कोई व्यक्ति समवाय के साथ सौदा करके धन हड़प करता है और कर्मचारियों को नौकरी से निकाल कर उसे मुआवजा दिया जाता है क्योंकि धन गरीब अंशधारियों का होता है। धनी लोगों की निर्दयता से कर्मचारी लोग

त्रस्त हैं किन्तु उस निर्दयता की जांच करने का क्या उपयोग है, जबकि हम जानते हैं कि धनी लोग निर्दय होते हैं ।

अग्रेतर जांच की सिफारिश आयोग ने की है । यह कब तक चलती रहेगी आखिर इसकी कोई सीमा होनी चाहिये ।

जब इस कम्पनी ने ११४ झूठे अंशधारी बनाये तब क्यों सरकार ने तुरन्त कार्रवाई नहीं की । और इन झूठे अंशधारियों ने १० से २० हजार रुपये तक धन लगाया । किन्तु उनका कोई अस्तित्व नहीं था । हमने इसको कहने दिया । १९४८ में लोक लेखा समिति के एक प्रतिवेदन में लिखा है कि हमने इस प्रकार की बातों को बर्दाश्त करने की कैसे आदत डाली । एक समाचार था कि १० लाख रुपये की इमारतें बनाई गईं और केवल तीन वर्ष तक किराया मिला । फिर जांच हुई और मालूम हुआ कि ऐसी कोई इमारत ही नहीं बनाई गई थी । यह बात १९४८ की है । किन्तु हम ऐसी सब झूठी बातों को सहन करते हैं सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में । ये ऐतिहासिक तथ्य हैं । क्या इसका यह अर्थ है कि इन बातों की जांच नहीं होनी चाहिये ।

प्रश्न पैदा होता है कि क्या समवाय निरीक्षकों को सतर्क नहीं रहना चाहिये और क्या समवाय रजिस्ट्रार का समवायों के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये । क्या उन्हें मुफ्त में भारी वेतन पाने चाहियें ? शिकायतें आती हैं किन्तु कोई पत्ता भी नहीं हिलता । क्या ऐसे मामलों में जांच के ऊपर जांच करने में भी समय नष्ट किया जाता रहना चाहिये ? हमें बुराइयों को ढूंढ कर उनका हल निकालना चाहिये ताकि भविष्य में ऐसी बातें न होने पायें जिससे देश को हानि हो ।

हमारे देश के अन्य व्यापारी भी संभवत: वही कर रहे हैं जो डालमिया-जैन आदि समवायों ने किया है । मैंने एक समवाय के विषय में सुना था उसमें एक विख्यात व्यक्ति ने अंशों का मूल्य गिरा कर सारे अंश स्वयं खरीद लिये थे । ऐसी बातें हो रही हैं । और सब जानते हैं कि ऐसा हो रहा है मंत्री भी जानते हैं और सरकार भी । फिर वह संसद को यह सुझाव क्यों नहीं देते कि इसके उपचार के लिये उपयुक्त उपाय निश्चित करे । उद्योगों को सरकारी-क्षेत्र लेने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता । सरकारी क्षेत्र में ९२० करोड़ रुपये की लागत लगा कर १.२९ करोड़ का लाभ हुआ है । यह उत्साहजनक नहीं है ।

यह अवश्य है कि प्रतिरक्षा उद्योग जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों को हम गैर सरकारी लोगों के हाथों में नहीं छोड़ सकते । किन्तु अन्य उद्योगों को हमें अपने अधिकार में नहीं लेना चाहिये ।

अस्तु ! चाहे करदाता रुपया सीधा बाजार में लगाये या सरकार उससे कर के रूप में लेकर सरकारी क्षेत्र में लगाये दोनों हालतों में उस धन की रक्षा की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये । इसके लिये एक उपयुक्त उपाय खोजने की आवश्यकता है और यह प्रतिवेदन हमारे लिये ऐसा उपाय खोजने का आधार प्रस्तुत करता है ।

किन्तु विधान बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा । इस बात की भी आवश्यकता है कि उस विधान का ठीक तरह से पालन करने की आवश्यक व्यवस्था हो । समवाय अधिनियम में भी सब प्रकार के अपराधों का उल्लेख है, किन्तु फिर भी उसके उपबन्धों का उल्लंघन किया जाता है । मैं किसी व्यक्ति के विषय में कुछ नहीं कहता, किन्तु सारा व्यापारी वर्ग ही अपने विधि-सम्बन्धी ज्ञान का दुरुपयोग कर जनता के धन का शोषण कर रहा है । इसलिये इस विधि में जो कमियां हैं उन्हें पूरा किया जाना चाहिये ।

†**श्री महेश दत्त मिश्र** (खंडवा) : श्रीमान् मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस गम्भीर विषय पर बोलने का अवसर दिया। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है। इस प्रकार इस प्रतिवेदन को विस्तृत दृष्टिकोण से देखने के पश्चात् मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसे प्रतिवेदन के सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना हमारे लिये उचित नहीं होगा। इस प्रतिवेदन में और दफ्तरी-शास्त्री प्रतिवेदन में कुछ कमियां ऐसी हैं कि जिनके कारण हम किसी वर्ग अथवा व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। मैं ऐसे विषयों को विस्तृत राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखता हूं। पूंजीवाद देश के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है किन्तु इस प्रतिवेदन के देखने से यह प्रतीत होता है कि वह बेलगाम हो कर कार्य कर रहा है और यह बात केवल डालमिया जैन ग्रुप तक ही सीमित नहीं है।

स्वयं पूंजीवाद में कोई दोष नहीं है। उनका ध्येय धन कमाना है। दोष तो यह है कि पहले व्यावसायिक नैतिकता का जो स्तर था और जो आदर्श थे वह अब नहीं रहे।

हमने भी इस विषय में पुलिसमैन जैसा दृष्टि कोण अपना लिया है। १९४७ से हम भ्रष्टाचार के विषय में सुनते आये हैं। १९४७–४८ में कांग्रेस समिति ने जनता के आचरण का प्रमाप निश्चित करने के सम्बन्ध में एक संकल्प पारित किया था। उसने भी देश में तीव्र वाद-विवाद को जन्म दिया था। तब से हम भ्रष्टाचार की इस देश व्यापी समस्या के बारे में बहस करते हैं; किन्तु आश्चर्य की बात है कि हम अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। इसलिये मुझे भय है कि यदि हमने इस पर विस्तृत सामाजिक दृष्टिकोण से विचार नहीं किया तो यहां भी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकेंगे पायेंगे।

इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इस प्रतिवेदन पर कोई निर्णय लेने से पूर्ण सरकार को चाहिये कि देश के अन्य बड़े बड़े व्यापारी वर्गों की भी व्यापक जांच की जाये। मुझे विश्वसनीय सूत्र से मालूम हुआ है कि जो बातें विविन बोस प्रतिवेदन में कही हैं वह देश की अन्य बड़ी-बड़ी व्यापारी संस्थाओं में भी विद्यमान है।

ऐसा भी प्रतीत होता है कि सरकारी अधिकारियों और व्यापारी वर्ग के बीच गुप्त सम्बन्ध बने हुये हैं। इस बात की भी जांच की जाये। किन्तु इस कार्य में अधिक विलम्ब न किया जाये। इसके लिये एक समय सीमा-निश्चित की जानी चाहिये। जांच के बाद यदि यह निष्कर्ष निकले कि दूसरी व्यापारी संस्थाओं में भी इसी प्रकार की कुप्रथायें हैं तो फिर केवल डालमिया जैन ग्रुप के विरुद्ध ही कार्यवाही की जाये ? जब हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के निश्चित कारण हैं कि अन्य व्यापारी संस्थाओं में भी भ्रष्टाचार है तो फिर एक ही संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करना उचित नहीं।

१९४६ से यही स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग यह समाधान प्रस्तुत करते हैं कि उस समय युद्ध काल में लोग पैसा कमाने की धुन मे थे और इसलिये कुछ वर्षों तक यह प्रवृत्ति चलती ही रहेगी। कुछ लोग यह कहते हैं कि नवोदित प्रजातन्त्र ; ऐसा ही होता है। किन्तु अब १६ वर्ष हो गये हैं। अब भी यदि यह कुप्रथायें बन्द न हुईं तो यह प्रजातन्त्र के लिये ही नहीं अपितु स्वयं पूंजीवाद के लिये घातक सिद्ध होगा क्योंकि वह हमेशा इसी ढर्रे पर नहीं चल सकेंगे। यहां होने वाली चर्चा का वृतान्त समाचारपत्रों में निकलना है। वह जनता के मस्तिष्क को आंदोलित करते हैं। जनता के जागरुक होने पर पूंजी कारनामे जारी नहीं कह सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस प्रतिवेदन पर विचार करते समय संयम से काम लें। क्योंकि हम न्यायालय के रूप में डालमिया जैन मामले का फैसला नहीं कर रहे अपितु विस्तृत सामाजिक दृष्टि-कोण से इस पर विचार कर रहे हैं।

हमें देश की जनता को, सभी सम्बन्धित लोगों को तथा राष्ट्रीय उत्पादन वितरण के कार्य में संलग्न लोगों को यह बता देना चाहिये कि अब तक जो कुछ हो गया है वह आगे नहीं होगा, अब आगे कोई भी भ्रष्टाचार में भाग नहीं लेगा, सरकार अब जागरूक है और भ्रष्टाचार में भाग लेने वाले व्यापारी समुदाय तथा सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध प्रभावात्मक कार्यवाही कर रही है तो इससे सभी लोग सन्तुष्ट हो जायेंगे।

धीरे धीरे पनपने वाले लोकतन्त्र में समाजवाद के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये एकमात्र साधन सरकारी क्षेत्र की स्थापना ही है। सरकारी क्षेत्र लाभ कमा कर, लोगों से ईमानदारी तथा कुशलता-पूर्वक कार्य करा कर तथा अन्य ऐसे कार्य करके पूंजीवादी संस्थाओं के साथ, गैर सरकारी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकता है। केवल सरकारी क्षेत्र अथवा सहकारी संस्थाओं अथवा अन्य ऐसी बातों के द्वारा ही इस भ्रष्टाचार तथा इन बुराइयों को दूर किया जा सकता है। अतः हमें इस बात पर जोर दे न चाहिये कि सरकारी क्षेत्र के विकास पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाय, इसे उत्पादन के क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर दिया जाय जिससे लोग जान सकें कि हम अधिक अच्छी तथा अधिक सस्ती वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। इसी के द्वारा उपभोक्ताओं तथा अंश-धारियों के धन पर पनपने वाले भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा।

व्यापार में, प्रशासन में तथा सामान्य रूप से देश में भ्रष्टाचार, कदाचार तथा अदक्षता आदि के सम्बन्ध में एक व्यापक सामान्य सामाजिक जांच की जानी चाहिये जिससे कि हम कुछ प्रभावात्मक कार्यवाही करने के लिये किन्हीं निष्कर्षों पर पहुंच सकें।

अन्त में मैं सभी संसदविज्ञों से यह कहूंगा कि दूसरों के आलोचना करने से पहले, प्रशासन में, व्यापार में, तथा अन्य स्थानों पर फैले भ्रष्टाचार तथा बुराइयों की बात करने से पहले यदि वे अपने अन्तर को खोजें तो वे पायेंगे कि वे भी इसके लिये उत्तरदायी हैं, उन्होंने भी किसी न किसी रूप में इसमें अंशदान किया है, इसका समर्थन किया है, तो फिर हमें यह निर्णय करना होगा कि भ्रष्टाचार समाप्त किया जाना चाहिये अथवा नहीं, प्रभावात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी। तथा इससे लोग भी सन्तुष्ट हो जायेंगे।

†**श्रीमती रेणूका राय** (माल्दा) : विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन से देश की जनता को यह जानकर दुःख पहुंचा है कि गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा कुछ समय से ऐसी बुराइयां, भ्रष्टाचार तथा दुष्कर्म किये जाते रहे हैं जिससे न केवल सरकारी राजकोष को अपितु सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को भी, जिनमें निर्धन लोगों के भी अंश हैं, हानि पहुंची है।

मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि कम्पनी का एडमिनिस्ट्रेशन के बनने के पश्चात् बहुत सी कमियां दूर कर दी गई हैं परन्तु यह केवल एक ही व्यापारिक संस्था का मामला नहीं है, देश की अन्य अनेकों संस्थाओं द्वारा अपनाये गये भ्रष्टाचार भी हमारी जानकारी में आ रहे हैं।

हम इससे सहमत हैं कि आर्थिक विकास के समय गैर-सरकारी उद्योग भी होना चाहिये परन्तु इस उद्योग का व्यापारिक नैतिक सिद्धान्तों की सीमा में ही कार्य करना चाहिये। देश में आज के गैर-

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीयती रेंणुका राय]

सरकारी उद्योग का उद्देश्य यथा सम्भव शीघ्र धनवान बनना ही रह गया है। अतः 'विवियन बोस आयोग,' महान्यायवादी तथा श्री शास्त्री द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार समवाय विधि में शीघ्र ही संशोधन किये जाने चाहियें।

वास्तव में प्रशासन व्यवस्था में एकीकरण की कमी के कारण बहुत सी कमियां हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में कम्पनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट तथा उद्योग विनियमन तथा नियन्त्रण अधिनियम के सम्बन्ध में कार्य करने वाले विभाग में कोई समन्वय नहीं है। इन दोनों अधिनियमों के उपबन्धों को ठीक प्रकार से लागू किये जाने के लिये इन दोनों विभागों में समन्वय होना चाहिये। इसी प्रकार अन्य सम्बन्धित सरकारी विभागों में भी समन्वय होना चाहिये। प्रशासन व्यवस्था को दृढ़ किया जाना चाहिये तथा पूंजी निर्गमन नियन्त्रण, स्टाक एक्सचेंज तथा वित्तीय संस्थाओं की स्थापना आदि जैसे अन्य कदम उठाये जाने चाहियें।

जबकि देश के उद्योग में लगे हुए व्यक्ति यहां तक भ्रष्टाचार पर उतरे हुए हैं कि वे अपना कार्य कराने के लिये किसी भी सीमा तक घूस देने के लिये तैयार रहते हैं तो हमें समवायों के सम्बन्धित मामलों में कार्य करने के लिये सरकारी प्रशासन व्यवस्था में उच्च शक्ति प्राप्त अपना उत्तरदायित्व समझने वाले ऐसे अधिकारियों को लगाना चाहिये जो कि इन घूसों के प्रलोभन में न आयें तथा जिन्हें इस विषय का प्रविधिक ज्ञान भी हो।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं]

विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि सरकारी राज्य कोष के साथ १४५ लाख रुपये का सरकारी क्षेत्र की समवायों के साथ २६० लाख रुपये का छल किया गया है। उन लोगों के हित के लिये जिन्होंने सरकारी क्षेत्र के उद्योग में धन लगाने के स्थान पर गैर-सरकारी उद्योगों में धन लगाया है तथा भविष्य में अन्य व्यापारिक संस्थाओं द्वारा भ्रष्टाचार के इस पथ का अनुसरण किये जाने को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है? इस भ्रष्टाचार को न्यायालय में सिद्ध करने में तो पर्याप्त समय लगेगा तथा कुछ व्यापारीगण ऐसे भी हैं जो कि यदि उनके लाभ बने रहें तो वे जेल जाने अथवा करोड़ों रुपये का अर्थदण्ड देने में भी अपना अपमान नहीं समझेंगे अतः इस भ्रष्टाचार तथा इन बुराइयों को रोकने के लिये कुछ अन्य प्रभावकारी कदम उठाने होंगे। जिन समवायों में दोष आ गये हैं, जो अपराधियों के अधिकार में हैं परन्तु जो अच्छा लाभ कमा रही हैं उनको दण्ड देने के लिये, उनका लाभ उनसे ले लेने के हेतु, उनका राष्ट्रीयकरण तुरन्त ही किया जाना चाहिये। डालमिया दादरी सीमेंट कम्पनी इसका एक उदाहरण है जिसका राष्ट्रीय करण किया जा सकता है। मैं यह नहीं कह रही कि सभी समवायों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, मिश्रित अर्थ व्यवस्था में गैर-सरकारी समवायों को भी पनपने देना होगा परन्तु जो समवाय सीमाओं का उल्लंघन करें उनका दण्डरूप में तुरन्त ही राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये। जिन संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है तुरन्त ही राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये। जिन संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया गय है वे भी अच्छा कार्य कर रही हैं। उदाहरणार्थ चितरंजन कारखाने में टाटा द्वारा बनाये जाने वाले इंजनों से सस्ते व अच्छे इंजन बनाये जा रहे हैं तथा वह सुचारू रूप से चल रही है। इससे सट्टेबाजी में विश्वास करने वाले, देश के हित के विरुद्ध केवल अपने निजी लाभ के लिये धनोपार्जन करने वाले तथा सरकारी राज्यकोष को हानि पहुंचाने वाले लोग हतोत्साहित होंगे।

†**सभापति महोदय** : अब, श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : एक औचित्य प्रश्न पर । यहां पर कोई भी मन्त्री उपस्थित नहीं है ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव** (श्री शिन्दे) : माननीय मन्त्री ने मुझ से यहां उपस्थित होने के लिये कहा है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : यह एक बहुत गम्भीर मामला है जो कि पहली ही बार आया है और सभा-सचिव महोदय उस मन्त्रालय से सम्बन्धित नहीं हैं, इसी से यह स्पष्ट होता है कि सरकार इस महत्वपूर्ण तथा गम्भीर मामले को कितनी गम्भीरता से ले रही है । आयोग ने इस मामले में छः वर्ष का समय लगाया है, सरकारी राज्यकोष से इस पर लगभग २७ लाख रुपये व्यय किये गये हैं और इस प्रतिवेदन से पहली ही बार यह स्पष्ट हुआ है कि इस तथाकथित समाजवादी प्रतिरूप के समाज तथा सरकार में, गैर-सरकारी क्षेत्र के धूर्त व्यापारियों ने आचरण के प्रत्येक नियम को केवल उपहास मात्र ही बना दिया है । इस मामले को तो बहुत गम्भीरता से लिया जाना चाहिये था । परन्तु पूरी की पूरी सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयों, वित्त मन्त्रालय , वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय तथा समाजवाद में सच्चा विश्वास रखने वाले प्रधान मन्त्री महोदय, वे भी प्रतिनिधि इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं जबकि यह चर्चा की जा रही है ।

†**श्री कानूनगो** : मुझे खेद है कि मुझे कुछ समय के लिये बाहर जाना पड़ा था ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : वियिन बोस आयोग के प्रतिवेदन से निजी व्यापार के कारबारों पर ही प्रकाश नहीं पड़ा है परन्तु समाजवाद का दम भरने वाली वर्तमान सरकार के कार्यकलापों पर भी पड़ा है जिसके संरक्षण में कि यह सब भ्रष्टाचार तथा गबन चल रहा है । सरकार ने इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया है । विवादास्पद प्रश्न यह नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को दण्ड दिया जाता है अथवा नहीं । समाजवादी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिये हमने गैर-सरकारी क्षेत्र को अपना कार्य करने का अवसर दिया है । परन्तु वास्तव में कुछ और ही हो रहा है । माननीय मन्त्री ने कहा था कि १९५६ तथा १९६० में समवाय विधि को संशोधित कर दिया गया था परन्तु क्या वह यह कह सकते हैं कि इस समय देश में बुराइयां, भ्रष्टाचार नहीं है, सरकार ने उन कम्पनियों के मामले की जांच की है जिन्होंने १९४६ में व्यापार प्रारम्भ किया था । उनके अपने कथनानुसार वे १९४८ में अलग हो गई थीं तथा आयोग के अनुसार सारा धन किसी दूसरे समवाय को हस्तांतरित कर दिया गया था । इतने समय में सरकार ने कुछ भी नहीं किया । वे बातों को छिपाते रहे । दफ्तरी शास्त्री प्रतिवेदन के प्रथम भाग में वास्तव में सरकार का भण्डाफोड़ किया गया है और इसीलिये उन्होंने इसे यह कह कर सभा-पटल पर नहीं रखा कि ऐसा करना लोकहित में नहीं है । इन विख्यात विधियों ने विवियन बोस आयोग की सिफारिशों की जांच कर यह निष्कर्ष निकाला है कि उनके पास केवल प्रतिलिपियां हैं उनके निष्कर्ष कल्पनाओं पर आधारित हैं अतः वे न्यायालय में सिद्ध नहीं किये जा सकते । अतएव आगे और जांच करना आवश्यक है । बताया जाता है कि वास्तव में ९ कम्पनियां थीं, परन्तु अपनी जांच के दौरान आयोग ने एक अन्य कम्पनी को अपने क्षेत्राधिकार में ले लिया । इनमें से ५ तो मृतप्रायः थीं तथा चार ने किसी न किसी प्रकार खातों में गड़बड़ी कर दी । लेखा पुस्तकें नष्ट कर दी गई थीं, खातों में गड़बड़ी की गई, कोई साक्ष्य नहीं दिये गये तथा दस्तावेज दिखाये गये । फिर भी सरकार ने इन दस वर्षों में न तो कोई व्यक्ति गिरफ्तार ही किया, न कोई मुकदमा ही चलाया बस केवल यह निष्कर्ष निकाला है कि आगे जांच करना आवश्यक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुरेंद्र नाथ द्विवेदी]

प्रारम्भ में २० कम्पनियों की जाँच आयोग द्वारा की जानी थी, फिर केवल १० की ही क्यों कराई गई । अब पाँच कम्पनियों की जाँच करने के लिये इन्सपैक्टर नियुक्त किया जा रहा है । इनकी जाँच आयोग द्वारा ही क्यों नहीं कराई गई थी । यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि १९५२ में जिस चोपड़ा एण्ड कम्पनी को जाँच के लिये नियुक्त किया गया था उसे पुनः नियुक्त किया जा रहा है । उसके नियुक्त होने के समय ही एयरवेज़ ने न्यायालय में समवाय का अनिवार्य रूप से कारोबार बन्द कराने के लिये याचिका दे दी । चोपड़ा एण्ड कम्पनी ने १९५३ में अपना प्रतिवेदन दिया । पुलिस ने निरर्थक ही तीन वर्ष तक जाँच की, इस बीच बहुत सी लेखा पुस्तकें आदि कहीं छिपा दी गईं और कोई लाभ नहीं हुआ । फिर सीमित निर्देश-पदों पर यह आयोग नियुक्त किया गया । अब विधिज्ञ फिर कहते हैं कि आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर कुछ भी नहीं किया जा सकता । आयोग की नियुक्ति के समय पुलिस के पास जो कागजात थे वे आयोग को दे दिये गये थे । अब फिर जो जाँच की बात की जा रही है तो १०—१५ वर्ष की अवधि के पश्चात् क्या कागजात उपलब्ध हो सकेंगे, उन्हें किस प्रकार प्राप्त कया जा सकेगा ? सरकार के पास उस समय पर्याप्त शक्तियाँ थीं जिनके अधीन उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती थी । इस कार्य के विलम्ब के दो कारण थे पहला तो यह कि सरकार इन बुराइयों को संरक्षण देना चाहती थी तथा दूसरा यह कि वास्तव में इनके विरुद्ध सरकार इसलिये कठोर कार्यवाही नहीं करना चाहती थी कि ऐसा करने से सरकार पर यह आरोप लगाया जा सकता था कि वह केवल उन्हीं उद्योगों के साथ ही केवल राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रही है ।

अपराधी को तो दण्ड दिया ही जाना चाहिये । समवाय विधि के केवल संशोधन मात्र से ही काम नहीं चलेगा । व्यापार सम्बन्धी सभी कुप्रथाओं को रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि सब व्यापारिक संस्थाओं के मामलों की जाँच के लिये बिना किन्हीं शक्तियों वाले इंस्पैक्टर के स्थान पर, दफ्तरी प्रतिवेदन में स्वीकार की गई बात के अनुसार, एक आयोग नियुक्त किया जाये जो कि पूरी पूरी जाँच करे तथा हम देश की अर्थव्यवस्था में निजी उद्योग का महत्व स्पष्ट रूप से निर्धारित कर सकें ।

मैं यह नहीं कहता कि हमें प्रत्येक चीज़ का तुरन्त ही राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये । निजी उद्योग का भी हमारी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में एक विशेष महत्व है, परन्तु इसे राष्ट्रीय हित के लिये ही अपना कार्य करना चाहिये केवल अपने ही स्वार्थ मात्र के लिये नहीं । ये लोग आये दिन सरकारी उद्योग की असफलताओं तथा अधिक मूल्य आदि के सम्बन्ध में आलोचनायें करते रहते हैं परन्तु यह नहीं देखते कि निजी समवायों में कितनी कुप्रथायें बरती जा रही हैं । उन कुप्रथाओं को रोकने में जो समवाय सरकार की बिलकुल भी सहायता न करें तो उन्हें दी गई सुविधाओं को सरकार को उनसे छीन लेना चाहिये ।

इन कुप्रथाओं के लिये आगे और किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है । निष्क्रियता का परित्याग करके आगे कार्यवाही करने के लिये सरकार को प्रयुक्त होना चाहिये । परन्तु कठिनाई यह है कि जब कभी भी भ्रष्टाचार अथवा कुप्रथाओं का प्रश्न आता है तो हमारे प्रधान मंत्री महोदय की नीति, उनका व्यवहार तथा उनकी मानसिक भावनायें मार्ग में बाधक बन खड़ी हो जाती हैं । आज यदि सिराजुद्दीन, अथवा डालमिया ~~अथवा जैन~~ किन्हीं नियमों, अधिनियमों का उल्लंघन करे और किसी कुप्रथा को बरतें तो हमें ही उसका शत प्रतिशत साक्ष्य तथा प्रमाण देना पड़ता है

यह सब तो सरकार का कार्य है; किसी बाहरी व्यक्ति के लिये ऐसा करना सम्भव नहीं है। आयोग की रिपोर्ट से जिनके विरुद्ध स्पष्टतः अपराध सिद्ध हो गया है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री दाजी ने प्रशासनिक अधिकरनों के लिये कहा था; मैं तो यह भी कहूंगा कि यदि आप अन्य शक्तियों का प्रयोग करने में असमर्थ हैं तो आपातकालीन शक्तियों का ही उपयोग करें। परन्तु सरकार की नीति तो समाजवाद का मंत्र जपने तथा पूंजीवाद एवं एकाधिकारवाद के विरुद्ध केवल गीत गाने की है; इन सब कुप्रथाओं, भ्रष्टाचार तथा दुष्कर्मों को देश में पनपने का अवसर सरकार ही देती है।

प्रति वर्ष कम्पनी ला एडमिनिस्ट्रेशन यह कहता रहा है कि उसकी शक्तियाँ पर्याप्त नहीं हैं परन्तु कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। कलिंग ट्यूब्स लिमिटेड ने कलकत्ता में कारखाने में काम लेने के बजाय १५ लाख रुपये का जस्ता चोरबाजारी से बेचा था। परन्तु शिकायत किये जाने पर भी कम्पनी ला एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं कर सका। यदि सरकार इस विषय में गम्भीर है, देश का विकास चाहती है तो उसे इस एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी शक्तियाँ देनी चाहिये। एक उच्चशक्ति प्राप्त अधिकारों वाला आयोग पहले ही से होना चाहिये जिससे प्रारम्भ में ही कुप्रथाओं आदि को रोका जा सके और बाद में आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता न पड़े।

हमारी औद्योगिक नीति का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिये। सरकारी और गैर-सरकारी उद्योग अथवा सहकारी उद्योग के क्षेत्रों के कार्य-क्षेत्रों तथा नियमों आदि की स्पष्ट रूप से परिभाषा की जानी चाहिये। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की प्रारम्भिक असफलताओं पर ध्यान न देते हुए उन को यथासम्भव शीघ्र विकास के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। डालमिया—जैन, टाटा, बिड़ला आदि निजी उद्योगों की अपनी बैंकिंग तथा सामान्य बीमा संस्थायें हैं जिन के द्वारा अंशधारियों का धन प्राप्त करके उसे वे अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये दुरुपयोग करते हैं। इस को रोकने के लिये इन बैंकिंग आदि संस्थाओं का तथा टाटा लौह-इस्पात उद्योग आदि का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।

कम्पनी ला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में शास्त्री समिति, भाभा समिति की पर्याप्त सिफारिशें हैं। उनके लिये यह नहीं कहा जाना चाहिये कि केवल अपराधियों का पता लगाने तथा उनको दंड देने के लिये थीं। कमियों को दूर करने के हेतु वर्तमान विधियों में संशोधन करने तथा आवश्यक विधान बनाने के लिये शीघ्र ही कदम उठाये जाने चाहिये।

भ्रष्ट पद्धतियों को अपनाने वाले व्यक्ति चाहे कोई भी हों, वह व्यापार अथवा सरकार में चाहे कितने ही उच्च पद पर आसीन हो, उसके विरुद्ध तुरन्त तथा कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो सरकार पर यह दोष लगाना कि वह बड़े बड़े उद्योगपतियों की चाल का शिकार बन गई है गलत नहीं होगा।

श्री शशिरंजन (पपरी) : एक गम्भीर विषय को ले कर आज हम इस सदन में उसी समीक्षा कर रहे हैं। ऐसा विषय पहले कभी भी हमारे सामने उपस्थित नहीं हुआ है। लेकिन बजाय उसकी समीक्षा करने के हम लोग कानून के मुताबिक सरकार जो काम कर रही है, उस पर विचार अपने व्यक्त कर रहे हैं, उसी पर ज्यादा बोल रहे हैं। अभी हमारे द्विवेदी जी ने कहा है कि फैडरेशन

[श्री शशिरंजन]

आफ चैम्बर्स आफ कामसे से हमें अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिये क्योंकि उसके कुछ सदस्यों ने कुछ ऐसी बात कहीं और उस में सम्मिलित होने से इन्कार किया । यह जो चीज़ है, व्यक्तिगत चीज़ है । अभी उन्होंने टाटा का दृष्टांत दिया है और कहा है कि टाटा ने कहा कि मैं सम्मिलित नहीं हूंगा । यह उनका व्यक्तिगत व्यवहार है, व्यक्तिगत आचरण है और इस में सरकार कुछ नहीं कर सकती है । यह एक बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग का समूह है और इतने बड़े समूह में अगर एक दो आदमी, गलती करते हैं या कुछ इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो उसके लिए सारी की सारी गवर्नमेंट को दोषी हम ठहरायें, यह शायद उचित नहीं होगा ।

दाजी साहब ने बहुत सी आदर्श की बात कही हैं । आदर्श की बात सही हो सकती है, कैसा होना चाहिये, क्या होना चाहिये, यह सब जो उन्होंने कहा मैं उससे बहुत कुछ सहमत हूं । लेकिन विषय यह नहीं है । विषय यह है कि अभी जो परिस्थिति हमारे सामने है, कानून के मुताबिक जिन कम्पनियोंने व्यवहार नहीं किया, उनके साथ हमारा कैसे व्यवहार हो, उनके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण हो, हम उसकी कैसे समीक्षा करें । आदर्श की बातों से शायद ही कोई व्यक्ति असहमत हो सकता है । कोई नहीं कहता कि लूपहोल्ज़ को प्लग न किया जाये । कोई नहीं चाहता कि इनकमटैक्स का इवेशन बन्द न हो, कोई नहीं चाहता कि ओहदे के प्रभाव से गलत काम बड़े बड़े दफ्तरों में जा कर कोई करवाये । लेकिन यह कहना कि हमारे प्रधान मंत्री अपना सम्बन्ध बिल्कुल विच्छेद कर लें, ऐसे बिग बिज़िनेस हाउसिस से, यह कैसे सम्भव हो सकता है या कहाँ तक उचित हो सकता है, इस पर हमें विचार करना चाहिये । अगर इस तरह से हम अपने को सब से अलग करते जाये तो कैसे काम चल सकता है ? होना तो यह चाहिये कि जिन में आदर्श हो जो यहाँ पर आदर्श की बात करते हैं वे उन लोगों के पास जाय जो इस तरह की गलत बात करते हैं और उन को समझायें, उन को बतलाय कि तुम ने यह ऐन्टी नैशनल काम किया है और समाज के विपरीत काम करने का नतीजा सारे देश पर पड़ेगा । जब देश नहीं रहेगा तो वे लोग कहाँ रहगे । इस तरह से उन के पास जा कर और उन के मानस पर कुछ प्रभाव डाल कर, कुछ अपना ऐक्शन दिखला कर और अपने में भी वही प्रवृत्ति ला कर हम काम करें तो मैं समझता हूं कि उस से ज्यादा असर पड़ेगा । आज नहीं हो, कल नहीं हो, कुछ ज्यादा दिनों में हो, लेकिन इस का असर जरूर पड़ेगा । असल में इस पार्लियामेंट ने कानून बनाया है और बहुत से सदस्य काफी दिनों से यहाँ हैं, कानून बदलने उन के हाथ में है, वे जब चाह कानून बदल सकते हैं, लेकिन सरकार तो जो कानून है उस के मुताबिक ही काम करेगी और करना भी चाहिये । अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो कानून की मान्यता नहीं रहेगी और कानून का कोई महत्व नहीं रहेगा ।

अब इस रिपोर्ट की मैं कई रुखों से समीक्षा करना चाहता हूं और सदन का ध्यान उस की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं । एक काल तो सन् १९४८–४९ का है जिस की चर्चा इस रिपोर्ट में की गई है । आज की परिस्थिति में, आज के वातावरण में हम चाहे जो भी कह ले, लेकिन जब हम उस समय की बात करते हैं, पुराने समय की बात करते हैं, तो उस समय में जाना पड़ेगा और उस समय की परिस्थिति का, उस वक्त के वाकयात को, मद्दे नजर रख कर विचार करना पड़ेगा । सन् १९४८–४९ में अंग्रेज तुरन्त गये थे, सत्ता हमारे हाथ में आई थी । हम लोगों को बहुत सी तब्दीलियाँ करनी थीं और हमें जीवन के हर पहलू में जूझना ही नहीं बल्कि उसे सुधारने के लिये भगीरथ प्रयत्न करना था । बहुत सी समस्यायें एक साथ उभर आई थीं । सदियों की दासता से हम खुद बहुत कमजोर और जर्जर हो गये थे । अंग्रेज इस लिये हमारे देश से नहीं चले गये थे कि उन्होंने हम पर कोई मेहरबानी की थी,

बल्कि इसलिये चले गये थे कि देश की परिस्थिति ऐसी थी जिस में उन के लिये यहाँ रहना सम्भव नहीं था। सदियों की दासता ने हमें बहुत कमजोर कर दिया था और जब भी हमारी नजर देशी क्षेत्र में और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पड़ी तो हम ने पाया कि हमें बहुत कुछ करना है। हौले हौले हम ने कुछ प्रगति भी की और काम भी किया, लेकिन हम सब पहलुओं पर दृष्टि नहीं डाल सके। इस में सरकार का ही दोष नहीं कहा जा सकता है बल्कि देश के हर एक रहने वाले का दोष था। जो कुछ हुआ, जो अच्छाइयां आईं उस में भी हर एक का साझा है और जो खामियां रह गईं उसके लिये भी हर एक दोषी ठहराया जा सकता है। उस वक्त अंग्रेज लोगों ने हमें जो शोषण की की शिक्षा दी थी उस में समाज में एक दूसरे का शोषण करने की शिक्षा मिली थी, बिजिनेस क्लास वाले जो लोग थे वे भी शोषण की प्रवृत्ति रखते थे। उस वक्त पैसे का महत्व था। राय बहादुरी, राय साहबी और सर की उपाधि किसी गरीब हलवाहे को नहीं मिलती थी बल्कि करोड़-पति और अरबपति को मिलती थी। लोगों में उस की लिप्सा थी, लोगों में इस के लिये ललक थी और वे चाहते थे कि उन के पास पैसा हो। उस के लिये वे गलत काम भी करते थे। कांग्रेस इतने दिनों तक लड़ी और उस ने पैसे के महत्व को घटाने की और व्यक्ति के महत्व को बढ़ाने की बातें कीं। हम उस में कहां तक कामयाब हुए यह दूसरी बात है।

सन् १९४९–५० का जो वक्त था वह एक ट्रांजिशिनल पीरियड था, हम एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश कर रहे थे। कम्पनी ला अंग्रेजों के द्वारा हमारे ऊपर लादा गया था। हम लोग उसे मानते आये थे, हम उस में तब्दीली नहीं कर सके, शायद वह हमारी नजर से छूट भी गया, मैं ऐसा मानता हूं। उस के बाद लियाकत अली की मिनिस्ट्री बनी। बाजार में जो शेअर थे उन के एक बार ही भाव गिरे। कुछ लोगों ने खरीदे और बेचे। गलत किया या सही किया, कुछ लोगों ने जानबूझ कर भी किया। लेकिन हमें वस्तुस्थिति को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा और कार्य करना होगा। एक वह परिस्थिति थी।

दूसरी परिस्थिति यह आई कि डालमिया जैन का यह मामला समीक्षा के लिये एक कमिशन को सौंपा गया और उस कमिशन ने सात, आठ वर्ष का समय लिया। इस दर्म्यान में भी बहुत सी तब्दीलियां हुईं, हो रही थीं। कमिशन को विचार करना था उस वक्त पर जो कि सन् १९४८–४९ का था।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जो कार्य उस कमिशन को सौंपा गया था वह तत्कालीन समय के लिय नहीं था। उसके बारे में उसे सुझाव देने थे। सन् १९५३ में उस ने विचार किया। सन् १९५३ में भाभा कमेटी बनी थी और उसने कम्पनी ला में कुछ अमेंडमेंट किया। फिर सन् १९५७ में कुछ अमेंडमेंट हुआ। श्री शास्त्री ने, जिन्होंने दफ्तरी साहब के साथ राय दी है, एक अलग रिपोर्ट पेश की थी। कुछ तब्दीलियां भी हुई थीं।

तीसरा जो वक्त आया वह उस सात या आठ महीने का है जिस की रिपोर्ट इस सदन के पटल पर रक्खी गई है। आज जो वस्तुस्थिति है उस की परिस्थिति में भी काफी लोगों के दिमागों में बहुत सी बातें आई हैं। अब रिपोर्ट हमारे सामने पेश की गई है और दफ्तरी साहब और शास्त्री जी ने कम्पनी ला को फिर बदलने का सुझाव दिया है।

सवाल यह उठता है कि डालमिया जैन ग्रुप वालों ने कम्पनी ला के मुताबिक कार्य किया, अगर कानून में लूपहोल्स होने की वजह से उन्होंने उस का नाजायज फायदा उठाया तो उस के लिये

[श्री शशि रंजन]

कानून ज्यादा दोषी है बनिस्बत उस आदमी के। हालांकि मैं उस आदमी को भी दोषी मानता हूं। अगर वह ठीक था तो फिर इस दर्म्यान में कम्पनी ला को ठीक करने का सुझाव देना मुझे ठीक नहीं जंचता है। इस कमिशन के बारे में हमारा जो विचार था, उस के बारे में जो अहमियत थी, उसके बारे में हम लोगों ने जो नक्शा बना कर रक्खा था, अगर उस में तब्दीली आ गई तो उस दर्म्यान में कम्पनी ला को क्यों अमेंड किया जाय ?

इन सब बातों को मदे नजर रख कर हम को इस पर विचार करना है, इन बातों को ध्यान में रख कर हम अपनी राय दें। यह कह देना कि सरकार भी इस में पार्टी है यह ठीक नहीं है। सरकार ने तो, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, जो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है उस को मद्दे नजर रख कर काम किया। किसी की तरफ से थोड़ी कमजोरी हो सकती है, किसी की तरफ से कुछ ढीलापन हो सकता है, लेकिन कम्पनी ला को बालाये ताक रख कर कोई सरकार काम करे, ऐसा सम्भव नजर नहीं आता। अब हमें यह कानून कैसे बदलना है यह पार्लियामेंट के मेम्बरों के हाथ में है, उनको इस पर विचार करना चाहिये। इस में तो कोई दो राएं नहीं हो सकतीं कि कानून जो हम बनावें वह ऐसा नहीं होना चाहिये कि सारा पैसा एक आदमी के पास सिमट कर आ जाए। हम लोगों ने जो समाजवादी समाज की कल्पना की है, उसको कैसे कार्यान्वित करें, कैसे अपनी योजना को सब जन हिताय और सर्व जन सुखाय बनावें, इस पर हमको विचार करना चाहिए।

कमीशन की रिपोर्ट के बारे में मैं एक दो शब्द और कहना चाहता हूं। मैं बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि इस कमीशन की रिपोर्ट प्राप्त करने पर देश का इतना पैसा खर्च हुआ, लेकिन उसमें हमको बातों का कुछ खुलासा नहीं मिलता। शायद इसका कारण यह हो कि इसमें कुछ कानून की अड़चनें थीं। इस रिपोर्ट से यह तो प्रकट होता है कि लोग एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं। हमको इस की शिक्षा तो मिलती है। अब हम कानून को इस तरह बदलेंगे ताकि जिस तरह के समाज की हम रचना करना चाहते हैं वह सम्भव हो सके। लेकिन हमको इस रिपोर्ट को इस दृष्टि से देखना चाहियें कि उस समय जो कानून मौजूद था उसका डालमिया जैन ग्रुप ने कहां तक उल्लंघन किया और उसके लिए वह कहां तक दोषी है। इस तरह इसको नहीं देखना चाहिये जैसे कि हमारी उससे कोई दुश्मनी हो और हमारा यह दृष्टिकोण भी नहीं होना चाहिये कि क्योंकि उसमें बहुत पैसा कमा लिया है इसलिए उस पर लांछन लगावें या उसको परेशान और पामाल करें। हमें तो यह देखना है कि उसने कानून का कहां तक उल्लंघन किया और कानून के मुताबिक उसने क्या गलतियां कीं। मैं समझता हूं कि जब इस सदन में बैठ कर इस प्रश्न पर विचार करें तो हमको निष्पक्षता से विचार करना चाहिये, जहां तक सम्भव हो। हमारा दृष्टिकोण निष्पक्ष होना चाहिये।

अतिरिक्त महा-वादेक्षक का मत और कुछ समवायों से सम्बन्धित दस्तावेज सभा पटल पर रखे गये।

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : श्रीमान, आप की अनुमति से मैं निम्नलिखित दस्तावेज सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) न्यू एशियाटिक इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड और न्यू रुबी जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी को भेजे गये आरोप ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) न्यू एशियाटिक इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड के सरकारी डायरेक्टरों की रिपोर्ट; और

(३) तत्कालीन अतिरिक्त महा-वादेक्षक श्री एच० एन० सान्याल की सम्मत्ति। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० १३११/६३]**

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : प्रधान मंत्री यहां उपस्थित हैं, अतः मैं यह निवेदन कर दूं कि जिस आडिटर रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही कर महा-वादेक्षक ने अपनी निश्चित राय दी है उसे भी सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये। ऐसा किये जाने पर ही हम यथार्थ निर्णय कर सकते हैं। आडिटर की रिपोर्ट मिलने पर ही हम किन्हीं निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। वही एक रिपोर्ट क्यों रखी गई है जिसमें बिड़ला को आरोपमुक्त किया गया है। दूसरी रिपोर्ट जिस पर यह रिपोर्ट आधारित है क्यों नहीं यहां रखी जा रही है ?

†**श्री ब० रा० भगत**: आडिटर की रिपोर्ट के आधार पर ही आरोप निश्चित कर समवायों को भेजे गये थे। उनमें सब सामग्री शामिल है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है इसमें दोनों आडिटरों की रिपोर्टों के प्राक्कलन और उपसंहार शामिल हैं। सभा का सत्र कल स्थगन हो रहा है अतः इतनी विशाल रिपोर्टों को--एक में १४० पृष्ठ हैं और दूसरी में १२६ पृष्ठ हैं--सभा पटल पर रखना दुष्कर है। रिपोर्ट का सारांश सभा के सामने है--सरकार द्वारा निश्चित आरोप और स्वयं सदस्य द्वारा रखे गये दस्तावेज। स्थिति स्पष्ट है। मैं सभा की आज्ञा का पालन करूंगा।

†**श्री दाजी** : यह उचित नहीं है सरकार कल इसे प्रस्तुत कर सकती है। माननीय मंत्री ने कहा था कि महा वादेक्षक ने आडिटर की रिपोर्ट के बारे में कुछ विचार प्रकट किये हैं और उन्होंने आडिटर की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया है। उसी आधार पर महा वादेक्षक ने कुछ उपपत्तियां निर्धारित की हैं। अतः महा वादेशक की रिपोर्ट पर निर्णय करने के पहले हमें आडिटर की पूरी रिपोर्ट मिलना चाहिये। यह उचित नहीं है कि सभा को आधी बात बतायी जाये और आधी न बतायी जाये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : जब यह दस्तावेज सब माननीय सदस्यों में परिचालित कर दिया गया है तो फिर उसमें गोपनीय क्या है ? इसे पटल पर रख दिया गया है और यह सार्वजनिक दस्तावेज है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार इस विषय पर विचार करने के उपरांत कुछ कह सकती है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** सभा ने जो सुझाव दिये हम उन सब पर विचार करेंगे किन्तु यह स्पष्ट है कि इसे कल सभा के सामने रखना संभव नहीं है। किन्तु इसके अतिरिक्त हमारी कठिन स्थिति है। माननीय सदस्य ने आडिटर की रिपोर्ट का कुछ अंश यहां प्रस्तुत किया तो हमने उसके फल स्वरूप अन्ततः महावादेक्षक

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

की राय, आरोप और सरकारी डाइरेक्टर की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय किया। सामान्यतया हम ऐसा नहीं करते। महावादेक्षक इस बात को सर्वथा पसन्द नहीं करते हैं कि उनके सरकार को भेजे गये प्राइवेट दस्तावेज सभा के सामने रख जायें। उनका कहना है "इस स्थिति में मैं स्पष्ट विचार व्यक्त नहीं कर सकता हूं।" किन्तु इस बात को ध्यान में रख कर कि आडिटर की रिपोर्ट रखी गई थी और महावादेक्षक की राय तथा सम्बन्धित पत्रों की मांग की गई तो हमने उन्हें पटल पर रखने का निर्णय किया। हमने यह कर दिया है। स्पष्टतः मैं कोई सम्मति नहीं दे सकता हूं। मैंने आडिटर की पूरी रिपोर्ट नहीं देखी है। मैंने इसकी और अन्य दस्तावेजों की अत्यन्त संक्षिप्त बातें देखी हैं और जो लोग इससे सम्बन्धित हैं अर्थात् माननीय विधि मंत्री और अन्य व्यक्ति इन पर विचार करेंगे।

†**श्री दाजी** : क्या हमें एक प्रति तुरंत मिल सकती है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : सामान्यतः इसके लिए २१ प्रतियां चाहिये। क्रमशः १४० और १२६ पृष्ठों की २१ प्रतियां साइक्लोस्टाइल कर उपलब्ध कराना कठिन है। हमने इतनी प्रतियां भेज दी हैं और अधिक प्रतियों के लिये प्रयत्न करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** यह ठीक है।

डालमिया जैन समवायों के लिये नियुक्त जाँच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**श्री पा० ल० जाधव** (मालेगांव) : आयोग द्वारा की जाने वाली जांच में छः वर्ष का विलम्ब हो गया है। इस विषय को उच्चन्यायालय उच्चतम न्यायालय तथा अन्य अनेक न्यायालयों से निर्दिष्ट किया गया और निरन्तर यह प्रयत्न किये गये कि इस विषय में देर हो। इस आयोग पर लगभग २७ लाख रुपये खर्च किये गये हैं। और इन सबका परिणाम यह है कि इन धनी व्यक्तियों द्वारा चलाई गई जाली फर्मों के भ्रष्ट कार्यों के सम्बन्ध में साक्ष्य नहीं मिल रहा है। जिन समवायों के मामलों की जांच की गई है उन्होंने ईमानदारी पूर्वक की जाने वाली व्यापारिक पद्धतियों की घोर उपेक्षा की है और सामान्य जनता और शेअरहोल्डरों की पर्याप्त हानि हुई है। ऊंची कीमतों में शेअर बेचने के बाद उन्हें फिर कम कीमतों में खरीद लिया गया और संस्थान को लाखों रुपये की हानि हुई जो वस्तुतः शेअरहोल्डरों की हानि थी।

एक विशेष फर्म अथवा डाइरेक्टर को मैनेजिंग एजेण्ट नियुक्त कर उन्हें भारी पारिश्रमिक दिया गया।

डालमिया-जैन औद्योगिक संस्थानों ने इस प्रकार पद्धति अपना ली और प्रत्येक डाइरेक्टर अथवा व्यक्ति ने उस संस्थान से काफी रुपये कमाये। उन धनपतियों ने करों की अदायगी से बचने की भरसक कोशिशें की हैं। लेखा पुस्तकों में भी फेर बदल किया गया है। विवियन बोस रिपोर्ट से यह सब बातें सिद्ध हुई हैं कि समवाय विधि (कम्पनीज़ लॉ) में संशोधन करने की

---

†मूल अंग्रेजी में

आवश्यकता है। इस प्रकार संशोधन किये जाये कि जनता के धन का अपव्यय और लूट संभव न हो सके।

लेखापरीक्षा का काम प्राइवेट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट करते हैं। यह लेखा परीक्षा उचित नहीं है। भविष्य में इन प्रोइवेट कम्पनियों का लेखा परीक्षा सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा कराना चाहिए। प्राइवेट औद्योगिक संस्थाएं सरकारी औद्योगिक संस्थाओं की भांति ही व्यवस्था बद्ध होनी चाहियें। ऐसा करने पर ही ईमानदारी पूर्वक काम हो सकता है।

हम इन उद्योगों को दण्डित करने की स्थिति में नहीं है। कानून की दृष्टि में तो हमें निस्संदेह ही उनकी प्रबन्ध व्यवस्था अपने हाथों ले सकते है। राष्ट्रहित में यह अत्यन्त आवश्यक है फिर, मियाद गुजरने के कारण कुछ रकमें इन कम्पनियों से वसूल नहीं की जा सकती हैं और उन्ह बट्टे खाते लिख दिया गया है। और तब भी सरकार इनके विरुद्ध कार्यवाही करने नें असमर्थ है। हमारे देश की सांस्कृतिक परम्परायें हैं, हमारी नैतिक प्रतिष्ठा उच्च है और इस लिये समवाय विधि में संशोधन करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : आज जांच के कठघरे में कौन है—कुछ उद्योगपति अथवा कांग्रेस सरकार। सन् १९५३ में उन कम्पनियों के बारे में भ्रष्टाचार प्रकट हुआ और १९५३–५६ के बीच कुछ नहीं किया गया।

सन् १९५६ में आयोग नियुक्त किया गया। जिस दिन सभा में इसकी चर्चा की गई थी उस दिन स्वर्गीय श्री फीरोज गांधी ने—बीमा (संशोधन) विधेयक—६ दिसम्बर, १९५६—को लगभग एक सौ कम्पनियों की सूची दी थी जिन पर डालमिया-जैन ग्रुप का नियंत्रण है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री गांधी ने अबने भाषण के अंत में कहा था कि हमें निर्भीक कदम उठाना चाहिये और डालमिया-जैन उद्योगों की १९४५–४६ से अब तक जांच के लिए न्यायिक शक्ति सम्पन्न एक आयोग नियुक्त करना चाहिये। . . . . डालमिया जैन उद्योगों से शेअर होल्डरों का लगभग ८ करोड़ रुपया वापस लेना चाहिये। इसके लिये यदि संविधान में परिवर्तन करना पड़े तो वह भी कीजिये। इस कार्य मैं सारी सभा आपके साथ है।

तदनन्तर, श्री फीरोज गांधी ने हिन्दी में कहा था :

"हम सब आपके पीछे हैं। आखिर में आपसे एक बात और कहना चाहता हूं :

अयंते हस्तो भगवान्, अयंते भगवत्तर ; ।"

आपके साथ भगवान है, आपके हाथ भगवान से भी ज्यादा ताकतवर है। कितने ताकतवर हैं। वह पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला साबित हो गया है।"

श्री फीरोज गांधी के इन स्वरों में प्रजातांत्रिक भारत की आत्मा मुखरित हो रठी थी।

वित्त मंत्रालय ने एक आदेश निकाला जिसमें कहा गया था कि सरकार को ऐसा आभास कराया गया है कि डालमिया-जैन उपक्रमों में उनके बहुत से निकट सम्बन्धी काम करते थे। इनमें बहुत सी बेकायदगियां और अवैध कार्यवाहियां की गई हैं और जनता द्वारा लगाई गई पूंजी सामान्य

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्रिदिब कुमार चौधरी]

लाभ के लिये प्रयुक्त नहीं की गई थी और इस प्रकार के पूंजी विनियोजन से केवल प्रबन्धक ही लाभ उठा रहे हैं और इस प्रकार शेयर होल्डरों को काफ़ी हानि पहुंची है।

इसी कारण यह मामला एक जांच आयोग को सौंपा गया था। परन्तु इस आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य अपराधियों को दण्ड देना नहीं था जैसा कि वित्त मंत्रालय के मुख्य सचिव श्री एच० एम० पटेल के बम्बई उच्च न्यायालय में दिये गये शपथ पत्र से पता चलता था बल्कि यह कि इससे विधान बनाने में सहायता मिलेगी। सरकार अपराधियों को दण्ड देने के लिये शायद इसलिये उत्सुक नहीं थी कि उस पर इन पूंजीपतियों का काफ़ी प्रभाव था। श्री फीरोज़ गांधी ने तो यहां तक कहा था कि इन कम्पनियों की जांच करने के लिये यदि संविधान और विधान को भी बदलना पड़े तो उसे भी बदल देना चाहिये। क्योंकि इन कम्पनियों के संयोजकों ने साधारण जनता को लूटा है और अपने लिये अवैध ढंग से धन अर्जित किया है। बड़ी-बड़ी कम्पनियों को छोड़िये। इस सभा में एक कम्पनी की अनियमितताओं पर आरोप लगाये गये थे जिसमें श्रेयान प्रसाद जैन, शीतल प्रसाद जैन, राम कृष्ण डालमिया, जय किशन डालमिया और अन्य शामिल थे। इसकी जांच के लिये एक आयोग नियुक्त किया गया था परन्तु इन पूंजीपतियों के प्रति सरकारी अफसरों, मन्त्रालयों और सरकार का क्या रवैया रहा। क्या सरकार इस बात से इन्कार कर सकती है कि इस जांच आयोग की नियुक्ति के पश्चात् भी श्रेयान प्रसाद जैन राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के डायरेक्टर रहे। इसका क्या कारण है? इतना होने के बाद भी श्री शान्ति प्रसाद जैन ने अपने हाथों प्रधान मंत्री को अभिनन्दन ग्रन्थ पेश किया। हम माननीय प्रधान मंत्री का बड़ा सम्मान करते हैं परन्तु क्या उन्होंने यह सही आदर्श जनता के समक्ष रखा। २७ लाख रुपये खर्च करने के बाद जो परिणाम प्राप्त हुआ वह हमारे सामने है और दफ्तरी शास्त्री समिति रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया वह भी हम से छुपा नहीं है। सरकार को यह नहीं भूलना चाहिये यही श्री शास्त्री उन कम्पनियों की ओर से उच्चतम न्यायालय में पेश हुए थे। मुझे उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई ऐसी अनियमितायें हुई हैं जिन के आधार पर अंशधारी मुकदमे चला सकते थे परन्तु अब इतना अधिक समय गुजर चुका है कि अंशधारियों को यह भी स्मरण नहीं होगा कि उन्हें कितनी हानि हुई है। मेरे विचार में यह तो कोई दलील नहीं है। विवियन बोस आयोग की रिपोर्ट श्री शास्त्री को सौंपना सरकार के लिए बिलकुल मुनासिब नहीं था।

हम यह बात मानते हैं कि लाखों रुपये खर्च हो जाने और करोड़ों रुपये चोरी हो जाने के बाद भी हम कुछ नहीं कह सका परन्तु हमें आगे के लिये तो बचाव कर लेना चाहिये विवियन बोस आयोग ने कम्पनी विधि प्रशासन के केन्द्रीयकरण का जो सुझाव दिया है वह प्रशंसनीय है। अन्य देशों में भी इसका केन्द्रीकरण किया गया है। और नियमित कम्पनियों पर बहुत कड़ा नियंत्रण रखा जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिये जैसा कि श्रीमती रेणुका राय ने सुझाव दिया है। कम्पनी विधि प्रशासन विभाग की यह शिकायतें हैं कि उन्हें पर्याप्त शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। मुझे स्वयं अनुभव है कि किसी कम्पनी की बेकायदगियों के बारे के बारे में कम्पनी विधि प्रशासन को शिकायत की गई थी और उन्हें जांच आरम्भ करने में तीन वर्ष लग गये थे। आय कर न्यायाधिकरण की तरह का कम्पनी विधि प्रशासन में भी एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाना चाहिये ताकि जब भी नियमों का उल्लंघन हो तो वह तुरन्त कार्यवाही कर सके।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : गत १५ वर्ष में जो घटनायें हुई हैं उनमें इस रिपोर्ट के प्रकाशन का विशेष महत्व है । इस रिपोर्ट को तैयार करने वालों की सेवायें प्रशंसनीय है ।

इस रिपोर्ट को देखने से यह पता चलता है कि जिस शान और शौकत से यह बड़े बड़े व्यापारी रहते है वह हमारे समाजवादी समाज के उद्देश्य का मजाक उड़ाने से किसी तरह कम नहीं है । इन बड़े व्यापारियों के कारनामे हमारे लिये शर्म का कारण है । यह लोग अंशधारियों की पूंजी का दुरुपयोग करते रहे है उसे अवैध रूप से खर्च करके अपनी तिजोरियां भरते रहे है । इन्होंने ऐसे लोगों के नाम अंश बेचे और उनके नाम पर लाभ जमा कराते रहे है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था । कई ऐसी कम्पनियां बनाई गईं जिनका अस्तित्व केवल कागजों में ही था ।

मैं अमीर लोगों के खिलाफ नहीं हूं परन्तु उन्होंने ऐसी बेकायदगियां की हैं जिनके कारण हम जनता के सामने यह दावा नहीं कर सकते कि हम समाजवादी समाज की स्थापना करने जा रहे हैं । इसके लिये हमें कोई कठोर कार्यवाही करनी होगी ।

हम सब मिलो जुलो अर्थ व्यवस्था में विश्वास रखते है और कोई भी सदस्य यह नहीं चाहेगा कि इसमें कोई परिवर्तन किया जाये । यह सही है कि सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ काण्ड हुए हैं जिनकी लेकर विरोधी दल के सदस्य सरकार की बुराई करते रहे है परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र की इन कम्पनियों के काण्डों को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि जीप काण्ड और उर्वरक काण्ड इनके सामने तुच्छ हैं ।

हम विदेशी पूंजी आमंत्रित कर रहे है परन्तु ऐसी रिपोर्टें पढ़ने पर उनका उत्साह कैसे बढ़ेगा । यह जो सर्वेक्षण किया गया है यह तो नमूने के तौर पर हुआ है । इसको देखते हुए यदि समस्त कम्पनियों का निरीक्षण किया जाये तो परिणाम बड़े भयानक होंगे । इन में सुधार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है । सुधार करने का एक तरीका तो विधान ही है ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, ७ मई, १९६३/१५ वैशाख, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोमवार, ६ मई, १९६३
१६ वैशाख, १८८५ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--		५९२५—६००५
तारांकित		
प्रश्न संख्या		५९८५–८६
११७७	पूर्वी क्षेत्र में नौसेना का अड्डा	५९८६–८८
११७८	विदेशों में भारतीय राजनयिक प्रतिनिधियों को प्राप्त राजनीतिक उन्मुक्ति	५९८८–९०
११७९	नेफा में आसाम राइफल्स	५९९०—९३
११८०	आकाशवाणी में नियुक्त विदेशी	५९९३—९७
११८१	भारत-पाकिस्तान सीमा सम्मेलन	५९९७–९८
११८२	असैनिक विभागों से भूतपूर्व प्रतिरक्षा कर्मचारियों को वापस बुलाना	
११८३	ट्रक और ट्रेक्टर	५९९८–६०००
११८४	स्वचालित हथियारों का निर्माण	६००१–०२
अल्प सूचना		
प्रश्न संख्या		
१३	ले० जनरल बी० एम० कौल को व्यापारिक फर्म में काम करने के लिए अनुमति	६००२—०४
१४	इस्पात के नये कारखानों की स्थापना	६००४–०५
प्रश्नों के लिखित उत्तर--		६००५—०७
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
२७१३	ए० ई० सी० सेंटर एण्ड स्कूल, पंचमढ़ी के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि	६००५
२७१४	ए० ई० सी० सेंटर एण्ड स्कूल, पचमढ़ी	६००५
२७१५	ग्रामीण औद्योगिक परियोजनायें	६००६
२७१६	नेफा से भरती	६००६

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२७१७	मोज़म्बीक से लौटे हुए भारतीयों का पुनर्वास	६००६
२७१८	कलईकुन्डा हवाई चौकी	६००७
२७१९	बंगाली फिल्म "दादा ठाकुर'	६००७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना ६००८–१०

(१) श्री गुलशन ने पंजाब में चीनी की कमी और इसके बहुत अधिक मूल्य पर बेचे जाने की ओर खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान दिलाया।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने इस सम्बन्ध में एक व्क्तव्य दिया।

(२) श्री द्वारिका दास मंत्री ने इस्पात और भारी उद्योग मंत्री को हाल की आस्ट्रिया और पश्चिमी जर्मनी की यात्रा के परिणाम की ओर उनका ध्यान दिलाया।

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६०१०–११

(१) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८–छ के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक १ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२७४ में प्रकाशित व्यापारिक गाड़ियों (वितरण तथा बिक्री नियंत्रण) आदेश, १९६३ की एक प्रति।

(२) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २० अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६५६ में प्रकाशित रुई नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६३।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १५ के अन्तर्गत दिनांक २७ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १२०५।

(३) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ४१ की के अन्तर्गत दिनांक २६ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४७० में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (पांचवां संशोधन) नियम, १९६३।

विषय पृष्ठ

(ख) ३० सितम्बर, १९६१ से ३० सितम्बर, १९६२ तक की अवधि में निवारक निरोध अधिनिय , १९५० की कार्यान्विति सम्बन्धी सांख्यकीय सूचना ।

(४) प्रत्यर्पण अधिनियम, १९६२ की धारा ३५ की के अन्तर्गत दिनांक २२ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३२५ की एक प्रति ।

(५) निम्नलिखित पत्रों को एक-एक प्रति :—

(क) लौह अयस्क खनन उद्योग के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की नियुक्ति के बारे में दिनांक ३ मई, १९६३ का सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी–२(१)।६२(१) ।

(ख) चूने का पत्थर तथा डोलोमाइट खनन उद्योगों के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड को नियुक्ति के बारे में दिनांक ३ मई, १९६३ का सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी०–२ (१)।६२ (२) ।

(६) गैर-सरकारी सदस्यों के बिलों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की वर्तमान अधिवेशन में हुई (१३वीं से २१वीं) बैठकों के कार्यवाही-सारांश

(७) याचिका समिति की वर्तमान अधिवेशन में हुई (पांचवीं और छठी) बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

(८) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) न्यू एशियाटिक इंश्योरेस कंपनी लिमिटेड और रुबी जनरल इंश्योरेस कंपनी को भेजे गये आरोप ;

(ख) न्यू एशियाटिक इंश्योरेस कंपनी लिमिटेड के सरकारी निदेशकों के प्रतिवेदन; और

(ग) तत्कालीन अतिरिक्त महावादेक्षक श्री एच० एन० सान्याल का मत ।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ६०११

सचिव ने वर्तमान सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और २९ अप्रैल, १९६३ को सभा को दिये गये गत प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति की अनुमति-प्राप्त वित्त विधेयक, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखी ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ६०१२

पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ६०१२

बारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विषय पृष्ठ

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य ६०१२–१३

(१) निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) ने सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर दिये जाने के सम्बन्ध में सर्वश्री सिद्धेश्वर प्रसाद और राम हरख यादव के २८ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३७ के उत्तर के लिए एक वक्तव्य दिया ।

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : ने डालमिया जैन ग्रुप के अनेक समवायों के मामलों की जांच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त किये गये जांच आयोग के प्रतिवेदनों के कुछ पहलुओं पर महान्यायवादी श्री सी० के० दफ्तरी, और मद्रास उच्च न्यायालय के एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री ए०बी० विश्वनाथ शास्त्री के प्रतिवेदन के भाग १ के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया और उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति भी सभा पटल पर रखी ।

सभा के कार्य के बारे में ६०१३–१५

विधेयक पुरःस्थापित ६०१५

संविधान सत्रहवां संशोधन विधेयक, १९६३

डालमिया जैन समवायों के लिए नियुक्त जांच-आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ६०१६–४३

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) ने प्रस्ताव किया कि कुछ डालमिया जैन समवायों के प्रशासन की जांच करने के लिए नियुक्त किये गये जांच आयोग के प्रतिवेदन पर, जो २३ जनवरी, १९६३ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार किया जाये ।

चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, ७ मई, १९७३/१७ वैशाख, १८८४ (शक) के लिए कार्यावलि

डालमिया जैन समवायों के लिये नियुक्त जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा ।

GMIPND—LS. III—607 (Ai) LS.— 21-6-63—160.

पृष्ठ

डालमिया-जैन समवायों के लिए नियुक्त जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ६०१६–४३

श्री कानूनगो ६०१६–२१

श्री दाजी ६०२१–२४

श्री रा० गि० दुबे ६०२४–२५

श्री सुमत प्रसाद ६०२५–२६

श्री कृष्णपाल सिंह ६०२६

श्री च० कां० भट्टाचार्य ६०२६–२७

श्री उ० मू० त्रिवेदी ६०२७–२९

श्री महेशदत्त मिश्र ६०३०–३१

श्रीमती रेणुका राय ६०३१–३२

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी ६०३३–३५

श्री शशि रंजन ६०३५–४०

श्री मा० ल० जाधव ६०४०–४१

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी ६०४१–४२

श्री दी० चं० शर्मा ६०४३

अतिरिक्त महावादेक्षक का मत और कुछ समवायों से सम्बन्धित दस्तावेज सभा-पटल पर रखे गये ६०३६–४०

दैनिक संक्षेपिका ६०४४–४७

PLS. 41. XVIII 60. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त।

लोक-सभा क प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।